

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

12 मार्च, 1984

खण्ड 1, अंक 1

अधिकृत विवरण

विशय सूची

सोमवार, 12 मार्च, 1984

पृष्ठ संख्या

अध्यक्ष द्वारा स्वागत	(1)1
राज्यपाल का अभिभाषण	(1)2
(सदन की मेज पर रखी गई प्रति)	(1)16
भोक प्रस्ताव	(1)30
विभिन्न विशयों का उठाया जाना	
अध्यक्ष द्वारा घोशणा:—	
1. पैनल आफ चेयरमैन	(1)31
2. कमेटी आन पैटी ांज	(1)31
सचिव द्वारा घोशणा:—	
राश्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिये गये बिलों सम्बन्धी	(1)32
बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट	(1)32
सदन की मेज पर रखे गये/पुनः रखे गये कागज पत्र	(1)35

ब्रीच आफ प्रिविलेज के मामलों सम्बन्धी प्रिविलेजिज कमेटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पे 1 करना तथा अन्तिम रिपोर्ट पे 1 करने के लिए समय बढ़ाना:-	(1)36
1. 24-5-82 को राजभवन में हरियाणा के राज्यपाल का कथित अपमान करने, गाली देने तथा बल प्रयोग करने के लिए चौधरी देवीलाल एम.एल.ए. के विरुद्ध	(1)36
2. 24-6-82 को सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के अवसर पर उनके कथित अवचार सम्बन्धी चौधरी देवी लाल एम.एल.ए. के विरुद्ध	(1)39
3. चौधरी हरद्वारा लाल, उप-कुलपति महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी, रोहतक के विरुद्ध	(1)42

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 12 मार्च, 1984

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चन्डीगढ़ में 15.15 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार तारा सिंह) ने अध्यक्षता की।

अध्यक्ष द्वारा स्वागत

Mr. Speaker: Hon. Members, I on behalf of myself and on behalf of the Hon'ble Deputy Speaker welcome you all. I however, seek your cooperation for the best utilization of the valuable time of this House.

श्री मंगल सैन (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, आपने जो भाव व्यक्त किये हैं, मैं उनके लिए आपका आभारी हूँ और आपको आ वासन देता हूँ कि सै इन के दौरान सदन की कार्यवाही में हम आपके साथ पूरा पूरा भरोसा है कि नियम के अनुसार जो हमारे अधिकार हैं, आप उनकी रक्षा करते हुए हमें संरक्षण देंगे। जो भावना आपने व्यक्त की है, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। इस सदन की गरिमा को बनाये रखेंगे और हाउस के टाईम को सही सही तौर पर इस्तेमाल करने में आपको हम अधिक से अधिक सहयोग देंगे। आपकी भावना के साथ भामिल होते हुए मैं अपना स्थान लेता हूँ।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर। जब गवर्नर महोदय अपना अभिभाषण पढ़ रहे थे तो डा. मंगल सैन जी ने कुछ बातें कहीं थी जिन पर मुख्य मंत्री जी ने आपत्ति की थी। और वे भाब्द आप ने कार्यवाही से एक्सपंज कर दिए थे। मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि जब गवर्नर महोदय अभिभाषण करते हैं तो वह हाउस की सिटिंग नहीं कहलाती और न ही इसको रिकार्ड करने के लिए हाउस में रिपोर्टर्ज होते हैं और न ही इसकी कोई रिपोर्ट बनती है। अगर ऐसा है तो एक्सपंज करने का क्या फायदा।

श्री अध्यक्ष: उस समय मैंने जो कहना था कह दिया, अब आप बैठ जाइए।

राज्यपाल का अभिभाषण

(सदन की मेज पर रखी गई प्रति)

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, हरियाणा विधान सभा के रूल्ज आफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट आफ बिजनैस के रूल 18 के अनुसार मैंने आपको यह सूचना देनी है कि कांस्टीच्यू इन के आर्टिकल 176(1) के अधीन राज्यपाल महोदय ने आज 12 मार्च, 1984 को 2.00 बजे बाद दोपहर हरियाणा विधान सभा के सामने ऐड्रेस देने की कृपा की।

ऐड्रैस की एक कापीटेबल आफ दी हाउस पर रखी जाती है।

‘अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सदस्य—गण,

नए वर्ष में हरियाणा विधान सभा के प्रथम सत्र के अवसर पर आप सब का स्वागत करते हुए और अपनी भुभ कामनाएं भेंट करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता है।

2. इस सत्र में आपकी विचार चर्चाओं का केन्द्र मुख्यतया बजट तथा आर्थिक मामलें होंगे। मुझे वि वास है कि यह विचार चर्चाएं सहयोग की भावना और आप द्वारा स्थापित उच्च परम्पराओं के अनुसार की जाएंगी। आपकी चर्चा परिचर्चाएं मेरी सरकार को हरियाणा के लोगों की आ ताओं और आकांक्षाओं के प्रति अधिक ध्यान देने में सहायक बनेंगी।

3. विकास की गति को तेज करना और सभी वर्गों के लोगों के लिए नए सुअवसर जुटाना मेरी सरकार की आधारभूत कार्यनीति रही है। यह हम सब के लिए बड़े गौरव और संतोश का विशय हे कि गत वर्ष के दौरान हमारे राज्य ने सामाजिक, आर्थिक विकास के क्षेत्रों में आगे और बहुमुखी प्रगति की है।

4. राज्य में भान्ति तथा मेल मिलाप का वातावरण होने के कारण आर्थिक प्रगति सम्भव हुई है। हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में गत दो वर्षों के दौरान साम्प्रदायिक हिंसा की जो घटनाएं होती रही है, हरियाणा में वे तीव्र आक्रो ा और मानसिक कष्ट

का कारण बनी है, जिसके परिणामस्वरूप तनावपूर्ण वातावरण बन गया था और जब भी पंजाब में साम्प्रदायिक मारकाट की घटनाएं हुईं, यमुनानगर जैसे कस्बों में कुछ हिंसात्मक घटनाएं घटीं। पड़ोसी राज्य में हिंसा की निरन्तर घटनाओं के परिणामस्वरूप करनाल, कैथल, पानीपत और जींद में हाल ही में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुईं। मेरी सरकार ने बिना साम्प्रदायिक भेदभाव के लोगों के जीवन और उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाये। मेरी सरकार ने इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का ठीकाण होने वालों के परिवारों को 100000 रुपये प्रति परिवार सहायता दी है। मुझे यह कहते हुए संतोश का अनुभव हो रहा है कि हरियाणा के लोगों की समझदारी और सुदृढ़ प्रशासकीय उपायों के कारण राज्य में स्थिति फिर से पूरे तौर पर सामान्य हो गई है। हरियाणा के लोगों के तीव्र उत्तेजना के बावजूद सराहनीय संयम का प्रदर्शन किया है। यह प्रसन्नता का विषय है कि विभिन्न समुदायों से संबंध रखने वाले लोग परस्पर एक दूसरे के धार्मिक समारोहों में भाग ले रहे हैं जिससे आपसी भाईचारे की भावना बढ़ रही है। हम कुछ लोगों के साम्प्रदायिक हितों को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक स्थानों के दुरुपयोग की कड़े से कड़े भावों में निन्दा किये बिना नहीं रह सकते। सरकार हर हालत में समूचे राज्य में भ्रान्ति और मैत्री भाव को बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्प है।

5. वर्ष 1983-84 के दौरान हमारा राज्य निरन्तर प्रगति के पथ पर बढ़ता रहा है। हमारी माननीय प्रधान मंत्री का 20-सूत्री

कार्यक्रम राज्य के विकास कार्यक्रमों के लिए प्रकाशित स्तम्भ सिद्ध हुआ है। कार्यक्रम में शामिल विकास कार्यों के सभी पक्षों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आगामी पैंनों में विभिन्न विभागों की उपलब्धियों को उल्लेख करते हुए, मैं 20-सूत्री कार्यक्रम के अधीन की गई प्रगति पर प्रकाशित डालूंगा। कार्यक्रम की उत्साहवर्धक कार्यान्विति का मार्गदर्शन और परिवीक्षण मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में उच्चचाधिकार प्राप्त समिति द्वारा किया जाता है। कार्यक्रम की कार्यान्विति की गति को तेज करने के लिए, प्रशासकीय सचिवों की एक समिति द्वारा अन्तर्विभागीय तालमेल सुनिश्चित किया जाता है। जिला स्तरीय लक्ष्यों और प्रगति की विस्तृत समीक्षा प्रत्येक जिले के कार्यभारी मंत्री द्वारा हर महीने की जाती है।

6. कल्याण कार्यों को और अधिक बढ़ाने का मेरी सरकार का निश्चय प्रतिवर्ष आयोजनागत उपबन्धों में निरन्तर वृद्धि से स्पष्ट हो जाता है जो 1984-84 की वार्षिक योजनागत राशि की अपेक्षा पर्याप्त रूप से अधिक है। 429.30 करोड़ रूपए के योजनागत परिव्यय में, कृषि तथा सम्बद्ध सेवाओं, और बिजली के लिए 253.67 करोड़ रूपए का, और सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाओं के लिए 78.44 करोड़ रूपए का परिव्यय है। उच्चतम प्राथमिकता कृषि और सिंचाई तथा बिजली क्षेत्रों के विकास को दी गई है।

7. हरियाणा के कृषि प्रधान राज्य होने के कारण, मेरी सरकार इस क्षेत्र में और अधिक वृद्धि के लिए अधिकतम प्राथमिकता दे रही है। खरीफ के दौरान भारी बाढ़ों के कारण कृषि उत्पादन को क्षति पहुंची। राज्य में न केवल नदियों के जलग्रही क्षेत्रों में अभूतपूर्व वर्षा हुई, बल्कि यह वर्षा व्यापक क्षेत्रों में हुई जिससे राज्य के अधिकांश भागों में बाढ़ें आईं। मेरी सरकार ने पिदाग्रस्त लोगों को तुरन्त सहायता पहुंचाई। पानी को निकालने के कामों के लिए मुरम्मत करने और राहत देने के लिए मेरी सरकार ने विभिन्न विभागों के माध्यम से 1703.63 लाख रूपए खर्च किए। भरसक प्रयत्नों के कारण अधिकांश क्षेत्रों को रबी की काल के लिए ठीक कर दिया गया और आता है कि कुल खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य से बढ़ जायेगा। भारी बाढ़ों को बार-बार आने से रोकने के लिए कुछ स्कीमें बनाई गई हैं और 1984-85 के लिए 1730 लाख रूपए की बाढ़रोधी योजना अनुमोदित की गई है। नाला नं. 8 की क्षमता को बढ़ाने के अतिरिक्त कुछ अन्य जल निकास प्रणालियों को पूरा करने और उनकी क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है। बाढ़ की चपेट में आने वाले गांवों के चारों तरफ नये योजक नालों और अधिक रिंग बांधों को भुरु किये जाने का भी प्रस्ताव है।

8. कृषि उत्पादन को अधिकतम सीमा तक बढ़ाने के लिए आरम्भ किये गये विभिन्न कार्यक्रमों के कारण, देश में कृषि के क्षेत्र में अग्रिम राज्यों में हरियाणा को प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त

है। यद्यपि इस राज्य में देा के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 1.2 प्रतिशत क्षेत्र है, फिर भी, देा के कुल खाद्यान्न उत्पादन में इसका अंश 5 प्रतिशत से अधिक है। राज्य सरकार खेती के तरीकों में सुधार करके और इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित विभिन्न इन्पुटों की उपलब्धता को सुनिश्चित करके कृषि उत्पादन को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

वर्ष 1983-84 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 70.14 लाख टन नियत किया गया था जो वर्ष 1982-83 के दौरान 66.59 लाख टन की उपलब्धियों से 5.3 प्रतिशत अधिक है। गन्ने का उत्पादन लक्ष्य सात लाख टन (गुड़ के रूप में) तथा कपास और तिलहन की क्रमशः 7.60 लाख गांठें और 1.70 लाख टन के लक्ष्य नियत किये गये थे। गन्ने और तिलहन के उत्पादन का लक्ष्य 1982-83 की वास्तविक उपलब्धि से क्रमशः 27.3 प्रतिशत और 45.3 प्रतिशत अधिक था। मौसम की खराबियों के कारण राज्य के कुछ भागों में खरीफ की फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा था। कपास की फसल को वर्षा और भारी नमी के कारण भारी क्षति पहुंची थी और कपास का उत्पादन अनुमान 7.60 लाख गांठों के लक्ष्य के मुकाबले में 5.50 लाख गांठें हैं। ऐसे क्षेत्र में, जहां कपास की फसल का बहुत अधिक नुकसान हुआ था, भूमिकर, आबियाना और फसल कर्जों की वसूलियां लम्बित कर दी गई हैं। सरकार ने बाढ़ प्रभावित जिलों में छोटे और सीमान्त किसानों को सहायता प्रज्ञत दरों पर रासायनिक खाद तथा गेहूं कीटनाशी उपलब्ध

करवाये। छोटे और सीमान्त किसानों को तिलहन और दालों के मिनीकिट भी बांटे गए हैं। बिजली तथा सिंचाई जल, प्रमाणीकृत बीजों की उपलब्धता में वृद्धि, खाद के अधिक प्रयोग और उचित पौधा संरक्षण उपायों से राज्य सरकार को 1982-83 के दौरान 66.59 लाख टन के मुकाबले में लगभग 67.50 लाख टन की रिकार्ड खाद्यान्न फसल की आशा है। वर्ष 1984-85 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य 75.50 लाख टन नियत किया गया है, गन्ने का 7.50 लाख टन (गुड़ की भाकल में), कपास 7.75 लाख गांठें और तिलहन 1.80 लाख टन है। आगामी वित्त वर्ष के दौरान चुने हुए खण्डों में बड़े पैमाने पर सब्जियां और फल उगाने की परियोजनाएं भुरू करने का भी विचार है। सरकार बायो गैस संयन्त्रों के प्रयोग और सूखी-खेती तकनीकों के विकास पर निरन्तर जोर दे रही है। अम्बाला, महेन्द्रगढ़ और गुड़गांव जिलों के पहाड़ों की तराइयों में 139 माइक्रो वाटर भौंड चुने गए हैं और चालू वर्ष में ऐसे 54 वाटर भौंडों पर काम चल रहा है। 1984-85 के दौरान अनेक नये वाटर भौंडों के विकास का काम भुरू किया जायेगा।

बेहतर वैज्ञानिक तकनीकें विकसित करने और कृषि उत्पादनों की किस्म और उपज को सुधारने के लिए हरियाणा कृषि विविद्यालय सरहानीय सेवा कर रहा है। विविद्यालय किसानों द्वारा अपनाये जाने वाले खेतों के विभिन्न तरीकों के साथ साथ अनेक फसलों की विभिन्न किस्मों के विकास का काम भी कर रहा है।

सरकार प्रादेशिक असमानता को कम करने और सूखा संभावी तथा रेतीले इलाकों के विकास की ओर निरन्तर विशेष ध्यान दे रही है। सामान्य विकास क्रियाकलापों के अतिरिक्त, सूखा संभावी क्षेत्र कार्यक्रम और मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 के लिए 4.04 करोड़ रूपए की राशि का उपबन्ध किया गया है। सूखा संभावी क्षेत्र कार्यक्रम की नीति यह है कि प्राकृतिक और मानवीय स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए अनेक अवस्थापना और कृषि विकास क्रियाकलापों के माध्यम से इन क्षेत्रों की अर्थ व्यवस्था में सुधार लाया जाए। मरुस्थल विकास कार्यक्रम का उद्देश्य, एक ओर मरुस्थल को फैलने से रोकना और दूसरी ओर समेकित ढंग से प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण करना, उन्हें काम में लाना और विकास करना है। मेरी सरकार छोटे तथा सीमान्त किसानों, कृषि श्रमिकों, ग्रामीण महिलाओं और दस्तकारों तथा अनुसूचित जातियों की दयनीय आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की जरूरत के प्रति भी सचेत हैं। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, निर्धनता सीमा से नीचे रहने वाले 600 परिवारों के उत्थान हेतु वर्ष 1984-85 के दौरान 7.98 करोड़ रूपए की राशि का उपबन्ध किया गया है।

9. कृषि उत्पादन और अधिक बढ़ाने के लिए उन्नत सिंचाई सुविधाएं जुटाना अनिवार्य है। मेरी सरकार ने जल के वितरण और उसके किफायती उपयोग के लिए प्रगतिशील उपाय

किये हैं। आवर्धन नलकूप लगाकर भूगत जल स्रोतों का भी उपयोग किया गया है। नहरों और जलमार्गों को पक्का करने के परिणामस्वरूप जल की पार्यप्त बचत हुई है। दिसम्बर, 1983 के अन्त तक लगभग 3 करोड़ वर्गमीटर जलमार्गों को पक्का किया गया, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 1800 क्यूसेक जल की बचत हुई, जिससे प्रति वर्ष 160000 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई होने की सम्भावना है। छिड़काव सिंचाई के उपयोग को पार्यप्त प्रोत्साहन मिला है और लगभग 130 सरकारी छिड़काव सैट पहले ही लगाए जा चुके हैं, इससे लगभग 9000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सिंचाई अधीन लाया गया है वर्ष 1884-85 के दौरान, असिंचित क्षेत्रों को नहरी सिंचाई के अधी लाने के लिए लगभग 2 करोड़ रूपए की लागत से और छिड़काव सैट लगाने का प्रस्ताव है।

10. मेरी सरकार रावी ब्यास जल में अपना हिस्सा लेने के लिए पंजाब क्षेत्र में योजक नहर के निर्माण के लिए भारत सरकार और पंजाब सरकार के साथ इस मामले को उठाती रही है। राज्य सरकार ने भारत सरकार पर यह जोर डाला है कि खर्च में प्राथमिकता भूमि के मुआवजे की अदायगी करने और वास्तविक निर्माण कार्यों को दी जाए और निधियों को फेहरिस्तें बनाने तक ही न रखा जाए। यह भी महसूस किया जाता है कि इन निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए बनाई गई स्थापना जरूरत से अधिक थी, जिसमें भारी कांट छांट करनी आव यक है। भारत सरकार ने हरियाणा के लेखे से पंजाब सरकार को इस भार्त पर 5 करोड़

रूपए दिये हैं कि यह राशि भूमि अर्जन के लिए अदायगी करने और भूमि पर की गई वास्तविक प्रगति पर खर्च की जाए। केन्द्रीय जल आयोग को परियोजना की वास्तविक और वित्तीय प्रगति दोनों के परिवीक्षण का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार परियोजना के भीष्म निष्पादन और निधियों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के पास इसकी पैरवी करती रहेगी। मैं इस बात को दुहराना चाहूंगा कि मेरी सरकार हरियाणा की जनता के जायज दावों की प्राप्ति के लिए दृढसंकल्प है। विभिन्न अंतर्राज्यीय विवादों के सम्बन्ध में मेरी सरकार अपने निश्चय पर कायम है। हमारा निश्चय इस विश्वास से और भी सुरक्षित है कि हमारे हित माननीय प्रधान मंत्री के हाथों में सुरक्षित हैं।

11. राज्य की अर्थ व्यवस्था की उन्नति में कृषि और उद्योग दोनों के उत्पादन में बिजलीका महत्व स्पष्ट है। इसलिए वर्ष 1984-85 के लिए योजना परिव्यय का मुख्य भाग (137.97 करोड़ रूपए) बिजली सैक्टर के लिए आवंटित किया गया है। देहरादून में प्रत्येक 165 मैगावाट की दो यूनिटों ने राज्य को 106 मैगावाट के इसके अतिरिक्त हिस्से की, बिजली देनी आरम्भ कर दी है। बिजली की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार ने चल रही स्कीमों, जिनमें पानीपत में ताप बिजली परियोजना की दूसरी स्टेज तथा तीसरी स्टेज सम्मिलित हैं, की प्रगति को तेज करने के अपने प्रयत्न जारी रखे हैं। दूसरी स्टेज जिसमें दो प्रत्येक 110 मैगावाट के दो यूनिट हैं, कार्यान्विति के अधीन हैं

और आ ता है कि एक यूनिट मार्च, 1985 के अंत तक चालू हो जाएगा जबकि दूसरे यूनिट के सितम्बर, 1985 में पूरा होने की सम्भावना है। तीसरी स्टेज, जिसमें 210 मैगावाट का एक यूनिट है, के दिसम्बर, 1986 में पूरे होने की सम्भावना है। पंचमी यमुना नहर पन बिजली योजना की पहली स्टेज, जिसमें प्रत्येक 16 मैगावाट के तीन बिजली घर हैं, का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है और पहले यूनिट के मार्च, 1985 के अंत तक चालू होने की सम्भावना है। दूसरे तथा तीसरे बिजली घरों के भी क्रम 1: 1985-86 तथा 1986-87 में चालू होने की आ ता है।

वर्ष के दौरान पारेशन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया गया है। राज्य में 220 किलोवाट क्षमता वाले दो मुख्य ग्रिड सब स्टे ानों को चालू किया गया है। इनमें से एक गुड़गांव में और दूसरा नरवाना में है। 220 किलोवाट क्षमता वाले एक अन्य सब स्टे ान के करनाल में वर्ष के अंत तक चालू होने की सम्भावना है। 220 किलोवाट क्षमता वाले सब स्टे ानों का निर्माण हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड ने पहली बार किया है। 1984 के दौरान 132 किलोवाअ क्षमता वाले दो सब स्टे ानों और 66 किलोवाट क्षमता वाले चार सब स्टे ानों को चालू किया गया है। इसके अतिरिक्त, 132 किलोवाट और 66 किलोवाट की क्षमता वाले सोलह सब स्टे ानों की क्षमता बढ़ाई गई है। 66 किलोवाट क्षमता वाले चार सब स्टे ानों का कार्य पूरा होने वाला है और उन्हें भीघ्र ही चालू कर दिया जायेगा। 1983-84 के दौरान दिसम्बर,

1983 तक 58356 सामान्य कनैव न, 2191 औद्योगिक कनैव न तथा 5652 नलकूप कनैव न दिए गए हैं। 1984-85 के दौरान एक लाख सामान्य कनैव न, 4000 औद्योगिक कनैव न और 15000 नलकूप कनैव न देना प्रत्याशित की गई है जिनकी मरम्मत क्षमता 150 ट्रांसफार्मर प्रति मास है। अब प्रति मास 500 ट्रांसफार्मरों की कुल मरम्मत क्षमता से भविष्य में इस व्यवस्था में खराब ट्रांसफार्मरों को बदलने की स्थिति काफी ठीक हो जायेगी।

खाद्यान्नों की ज्यादा से ज्यादा उपज लेने के लिए मेरी सरकार ने हमें कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी है। यह नीति अगले वर्ष भी जारी रहेगी और रबी फसलों के पकने के दौरान कृषि क्षेत्र को पर्याप्त बिजली दी जायेगी। बिजली की दीर्घावधि जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से और भी बहुत सी परियोजनाएं बनाई जा रही हैं। यमुनानगर ताप परियोजना की पहली स्टेज की मंजूरी योजना कमीशन से ली जा रही है जबकि 1020 मैगवाट की नाथपा झाखरी पन बिजली अन्तर्राज्यीय परियोजना का काम हाथ में लिया जा रहा है। हमारा राज्य मिनी हाईडल परियोजनाओं से भी बिजली सम्भाव्यताओं को काम में ला रहा है और दादूपुर माइक्रो पन परियोजना तथा खेड़ी-बरोटा मिनी पन-परियोजना की परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर दी गई है। राज्य ने चालू वर्ष में राष्ट्रीय ताप बिजली निगम से भी एक करार किया है ताकि सिंगरौली ताप बिजली प्लांट से, जो केन्द्रीय क्षेत्र में बन रहा

है, 200 मैगावाट का हिस्सा प्राप्त किया जाये। राज्य ने बैरा स्त्रिल परियोजना से भी अपना बिजली का हिस्सा प्राप्त कर लिया है।

12. हरियाणा, जो कभी कमी बाला राज्य था, आज केन्द्रीय भण्डार में गेहूं तथा चावल देने वाले मुख्य अं ादाताओं में से एक है। रबी 1983-84 में, चौदह लाख टन गेहूं अधिक प्राप्त किया गया और इसे केन्द्रीय भण्डार में दिया गया जबकि पिछले वर्ष यह अं ादान 12.6 लाख टन था। इसी तरह 5.3 टन चावल केन्द्रीय भण्डार के लिए प्राप्त किया गया है और चालू खरीफ साल में इसके 6 लाख टन से भी ज्यादा हो जाने की आ ा है। 20-सूत्री कार्यक्रम के अधीन आव यक वस्तुओं के वितरण को बहुत ज्यादा सुप्रवाहित बना दिया गया है। उचित दाम की अनेक दुकानों की व्यवस्था इस तरह से कर दी गई है कि किसी भी उपभोक्ता को आव यक वस्तुएं लेने के लिए दो किलोमीटर से अधिक चलना नहीं पड़ेगा। उन सभी क्षेत्रों में जहां मजदूर बस्तियां और विद्यार्थियों के होस्टल हैं और दूर पार के इलाकों में भी उक्त व्यवस्था पूरे तौर पर कर दी गई है। जनवरी, 1984 तक उचित मूल्य की 220 और दुकानें खोलने के लक्ष्य से 45 दुकानें अधिक खोली गई है। आव यक वस्तुएं सप्लाई करने के अतिरिक्त, हर एक जिले में 10 ऐसी उचित मूल्य की दूकानों नि ि चत की गई हैं जहां दस और चीजें भी उपभोक्ताओं को दी जाएंगी, जो ये हैं - दालें, चाय, खाद्य तेल, दियासलाई, अभ्यास

पुस्तिकाएं, टायर तथा ट्यूबें, कपड़े धोने का सोडा, धुलाई का साबुन, बैटरी सैल और नमक।

हरियाणा राज्य उपभोक्ता सहकारी भण्डार संघ लि. (कान्फैड) में आव यक चीजों के थोक वितरण के लिए एक विंग बनाया गया है। मेरी सरकार लगातार निगरानी रख रही है ताकि आव यक चीजों के व्यापार में लगे हुए लोग समाजविरोधी तरीके न अपना सकें।

13. कमजोर वर्गों को ऊपर उठाने और कर्जे देने, इन्पुटों की सप्लाई और उत्पाद की बिक्री के माध्यम से कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सहकारी आन्दोलन निरन्तर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्राथमिक सहकारी ऋण तथा सेवा समितियों ने 30 जून, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 176.52 करोड़ रूपए के थोड़ी अवधि तथा मध्यम अवधि के कर्जे दिये थे जबकि गत वर्ष के दौरान 151.46 करोड़ रूपए के कर्जे दिये गये थे। इन कर्जों से, इन समितियों के अनुसूचित जातियों के 96512 सदस्यों को लाभ पहुंचा है। किसानों को राहत देने के लिए, उपज कर्जों पर ब्याज की दर पहली सितम्बर, 1983 से एक प्रति शत कम कर दी गई है। अकेले इस उपाय से किसानों को हर वर्ष लगभग 2 करोड़ रूपए का लाभ होगा। किसानों को और रियायतें देने के और बहुत से उपाय हरियाणा सहकारी समितियां बिल, 1984 में सम्मिलित किए गए हैं जिन पर आप इस सत्र में विचार करेंगे। बिल में यह अनुबन्ध है कि कोई भी समिति अपने सदस्य

को दिए गए अल्पावधि ऋण पर कर्ज की मूल राशि से अधिक ब्याज वसूल नहीं करेगी। व्याज की देयता को सीमित करके यह उपाय किसानों को सुखद राहत देगा। सहकारी भूमि विकास बैंक ने 30 जून, 1983 को समाप्त वर्ष के दौरान 33.87 करोड़ रूपए का कर्ज दिया। गरीब देहातियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने अपनी कुछ प्रक्रियाओं को सरल बना दिया है। अब भूमि पर चार्ज बनाने के लिए 5000 रूपए तक के कर्जा, भूमि को बन्धक रखने की कठिन प्रक्रिया के बिना ही प्राप्त किये जा सकते हैं।

14. हरियाणा कृषि कर्जदारी राहत अधिनियम, 1976 के अंतर्गत जिन कृषि श्रमिकों, ग्रामीण शिल्पियों और सीमांत किसानों की वार्षिक आय दो हजार चार सौ रूपये तक थी, उन्हें उनके द्वारा लिये गये कर्जा से पूर्णतः उन्मुक्त कर लिया गया था। इन वर्गों के व्यक्तियों और छोटे किसानों द्वारा लिये गये कर्जा की स्थिति में यह व्यवस्था भी कि उन्हें कर्जा से पूर्णतः उन्मुक्त समझा जायेगा, यदि वे कर्ज की राशि से दुगुनी के बराबर या अधिक राशि अदा कर चुके हों। यह पाया गया है कि इन लाभदायक उपबंधों के संबंध में प्रचार कम होने के कारण अनेक व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन उपबंधित आवयक राहत का लाभ नहीं उठा सके थे। मेरी सरकार ने मामले पर पुनः विचार करने और इन वर्गों को उनके द्वारा लिये गये ऋणों के लिए 1976

से आज तक राहत देने हेतु अन्य विधान बनाने का निर्णय लिया है।

15. मेरी सरकार, कृषि के अतिरिक्त पशुपालन, डेरी विकास तथा मछली पालन की उपयुक्त स्कीमें बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक विकास कर रही है। पशु चिकित्सा हस्पतालों, पशु चिकित्सा डिस्पेंसरियों और पशुपालन केन्द्र के माध्यम से सुधरी हुई प्रजनन तकनीक और स्वास्थ्यदायक सुविधाएं जुटाई जाती है। वर्ष 1984-85 के दौरान 25 नई पशु चिकित्सा डिस्पेंसरियों की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है और 25 पशु चिकित्सा डिस्पेंसरियों और पशुपालन केन्द्रों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें पशु चिकित्सा हस्पताल बना दिया जायेगा। विशेष पशु धन विकास कार्यक्रम का उद्देश्य, संकर बछड़ी पालन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन तथा सूअर पालन यूनिटों को वाणिज्यिक बैंकों से कर्ज के उपबंध द्वारा और आर्थिक सहायता देकर समाज के कमजोर वर्गों को ऊपर उठाना है। इस कार्यक्रम के अधीन वर्ष 1984-85 के दौरान कमजोर वर्गों के 3275 परिवारों को लाभ पहुंचने की संभावना है। मेरी सरकार ने डेरी किसानों को मिनी डेरी यूनिटों की स्थापना करने के लिए सहायता देकर स्वरोजगार को भी बढ़ावा दिया है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान मिनी डेरियों का लक्ष्य 3500 नियत किया गया था। यह उल्लेखनीय है कि यह लक्ष्य दिसम्बर, 1983 के अंत तक पूरा कर लिया गया है

और आगामी वर्षों में ऐसे 1000 और यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव है।

16. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में वनों के महत्व के दृष्टिगत, मेरी सरकार ने वनों के विकास के लिए पूरी तत्परता से सभी स्कीमों आरम्भ कर दी हैं। 1983-84 के दौरान 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य नियत किया गया था। दिसम्बर, 1983 के अंत तक 90 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। 1984-85 के दौरान 10 करोड़ वृक्षों की पौध लगाने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

17. यद्यपि मेरी सरकार ने ग्रामीण अर्थ व्यवस्था की उन्नति के लिए प्रोत्साहनों का उपबंध तो किया ही है तथापि उद्योग विकास को भी निरंतर उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। प्रथम नवम्बर, 1983 से मेरी सरकार ने उद्योगों को प्रोत्साहन देने की एक नई स्कीम शुरू की है। नई नीति का लक्ष्य औद्योगिक रूप से कम विकसित क्षेत्रों के लिये अधिक प्रोत्साहनों की व्यवस्था द्वारा सतुलित औद्योगिक उन्नति को बढ़ावा देना है और इससे प्रवर्तक तथा विनाशकारी यूनिटों के लिए विशेष प्रोत्साहनों की व्यवस्था की गई है। इस नीति का लक्ष्य भात प्रतिशत निर्यात उन्मुखी यूनिटों तथा उच्च टेक्नालॉजी का प्रयोग करने वाली यूनिटों की स्थापना को प्रोत्साहन देना भी है। यह नई नीति ग्रामीण तथा लघु यूनिटों को उपलब्ध प्रोत्साहनों की गुंजाइश में भी वृद्धि करती है।

छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों की वृद्धि को उचित वित्तीय सहायता का उपबंध करके प्रोत्साहित किया गया है। हरियाणा वित्त निगम ने दिसम्बर, 1983 तक 16.46 करोड़ रुपये के कर्जे 318 यूनिटों के लिए स्वीकृत किये हैं। इसमें से 6.46 करोड़ रुपये पिछड़े क्षेत्रों में 115 यूनिटों के लिए स्वीकृत किये गये हैं। हरियाणा राज्य उद्योग विकास निगम ने मध्यम तथा बड़े उद्योगों वाले 54 यूनिटों के लिए 24.50 करोड़ रुपये के आवधिक कर्जे स्वीकृत किए हैं, जिनमें से 10.79 करोड़ रुपये पिछड़े क्षेत्रों में स्थित 22 यूनिटों के लिए स्वीकृत किए हैं, जिनमें से 10.79 करोड़ रुपये पिछड़े क्षेत्रों में स्थित 22 यूनिटों के लिए स्वीकृत किये गये हैं। ग्रामीण औद्योगीकरण स्कीम³ को भी प्रथमिकता के आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत 1983-84 के दौरान 5000 ग्राम और लघु स्तरीय युनिटें स्थापित की जानी थी। हर्ष का विशय है कि जनवरी, 1984 के अंत तक लक्ष्य से अधिक अर्थात् 5505 ऐसी युनिटों की स्थापना कर दी गई है। 1984-85 के दौरान 4800 छोटी युनिटों की स्थापना करना प्रस्तावित है। जिनसे 13000 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। उद्योगों को उन्नत करने के लिये विभिन्न स्थानों पर औद्योगिक सम्पदाओं को विकसित किया गया है आगामी वित्त वर्ष के दौरान टोहना, अगरोहा, समालखा कालका और डबवाली में नये औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने का प्रस्ताव है। आनुशंगिक उद्योगों के लिये भौडों का निर्माण करने की स्कीम के साथ-2

मेरी सरकार ने उद्यमकर्ताओं के लिये भौडों का निर्माण करने की एक नई स्कीम भी भुरु की है।

देश में शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार के अवसर जुटाने के दृष्टिगत हमारी माननीया प्रधान मंत्री ने स्वतंत्रता दिवस 1983 को एक नई स्कीम की घोषणा की थी। राज्य के लिये 5300 युवकों को स्वरोजगार के अवसर जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक जिले में एक कार्यदल का गठन किया गया है। और 6869 उद्यमकर्ताओं का निर्धारित कर लिया गया है। पहले ही 2368 कर्जों के मामलों में जिनकी राशि 3.90 करोड रूपये बनती है बैंको द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है। अनिवासी भारतीयों से निवेशकों को आकर्षित करने के लिये औद्योगिक सहायता गुप द्वारा किये गये पर्यासों के फलस्वरूप अब तक 911 आवेदनपत्र प्राप्त हो चुके है। और उनमें से 322 के नाम आवेदनपत्र जारी किये जा चुके है।

18 राज्य का औद्योगिक वातावरण अधिक उत्पादन में सहायक है। 1983 के दौरान मजदूरों की स्थिति में सुधार हुआ है और यहां हडतालें और तालाबंदी ने केवल 49 मामले हुये जबकि गत वर्ष में ये 62 थे। ईंटों के भट्टों, खानों, पत्थर-खालों स्टोन कारों, और राइस भौलर मिलों जैसे 1360 यूनिटों के सर्वेक्षण में बंधक मजदूरी का कोई भी मामला नहीं मिला। निरंतर सर्वेक्षण किये जा रहे है और बंधक मजदूरों, यदि कोई हो, का

पता लगाने और सामाजिक पुनर्वास के लिये जिला तथा उपमंडल स्तरों पर चौकसी समितियां स्थापित की गई है।

मेरी सरकार रोजगार के क्षेत्र में स्वरोजगार स्कीमों पर जोर देती रही है। उद्योग विभाग, औद्योगिक प्रशिक्षण और रोजगार और जिला ग्रामीण विकास एंजेंसियां सभी ऐसी स्कीमों पर अधिक जोर दे रही है। 1983 के दौरान स्वरोजगार संबंधी सूचना 21522 आवेदकों को दी गई थी और इसके परिणामस्वरूप 9.24 लाख रुपये के कर्ज 222 आवेदकों को अपने उद्यम शुरू करने के लिये बैंको द्वारा दिये गये। ग्रामीण बेरोजगारों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों को नये रोजगार विभाग खोले जा रहे है। 1983 के दौरान राई में एक ग्रामीण रोजगार विभाग और बादली में एक उप-कार्यालय रोजगार विभाग की स्थापना की गई है। छः ग्रामीण रोजगार विभागों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें नगर रोजगार विभाग बना दिया गया है। जबकि जिला रोजगार विभाग सोनीपत में एक विशेष कक्ष भारीरक रूप से विकलांगों के लिये स्थापित किया जा रहा है। वर्ष 1984-85 के दौरान राज्य के विभिन्न औद्योगिक नगरों में चार जाब-विकास यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो भारीरक और पर विकलगा और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिये नौकरियां जुटायेगे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन इस वर्ष रोजगार के 14.51 लाख श्रम-दिवस बनाने की संभावना है। वर्ष 1984-85 के दौरान 16.22 लाख श्रम-दिवस के लिये इस स्कीम

के अधीन 380 लाख रूपयें की राशि खर्च करने का प्रस्ताव है। एक ग्रामीण भूमिहीन-रोजगार-गारंटी-कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। जिसका उद्देश्य ग्रामीण भूमिहीन परिवार के कम से कम एक सदस्य के लिये प्रतिवर्ष कम से कम 100 दिन के लिये रोजगार जुटाना है।

19. हमारे अत्यधिक प्रतियोगितापरक युग में, प्रगतिशील समाज के लिये शिक्षा एक मूलभूत आवश्यकता है। मेरी सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये कि जनसामान्य की आसान पहुंच के अंदर-अंदर ही पर्याप्त शिक्षा-सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस क्षेत्र को उचित प्राथमिकता दी है। प्राथमिक, मिडल, उच्चतर माध्यमिक और महाविद्यालय के स्तर तक की शिक्षा सुविधाएं कम से कम 1 किलोमीटर 2.37 कि०मी०, 2.95 कि०मी० और 10.45 कि०मी० के घेरे में उपलब्ध करवाई गई हैं। निरक्षरता को समाप्त करने के उद्देश्य से शिक्षा पर अब हम अधिक खर्च कर रहे हैं 20 सूत्री कार्यक्रम के प्रतिस्थापित प्रारंभिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और पुस्तक-बैंकों को सर्वव्यापी बनाने की स्कीमों पूरे जोर से लागू की जा रही हैं। प्रारंभिक शिक्षा को योजना के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग बना दिया गया है और इसका उद्देश्य 6-14 वर्ष के आयु-वर्ग के प्रत्येक बच्चे को यथासंभव पूर्णसमय और यथा आवश्यक आर्थिक आधार पर शिक्षा देना है। वर्ष 1983-84 के दौरान, प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने संबंधी औपचारिक शिक्षा पक्ष के अंतर्गत 20.10

लाख बच्चे दाखिल किये गये, जबकि लक्ष्य 19.40 लाख का था और अनौपचारिक पक्ष में 96422 बच्चे दाखिल किये गये जबकि लक्ष्य 90000 का था। वर्ष 1983-84 के दौरान प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में 1.06 लाख व्यक्तियों को शिक्षा दी गई और पुस्तक बैंको कीस्थापना के लिये भात-प्रति भात लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है।

समूची छठी योजना के स्कूलों के दर्जे बढाने के लक्ष्य को पिछले वर्ष प्राप्त कर लिया गयाथा और 356 प्राथमिक स्कूलों और 323 मिडल स्कूलों का दर्जा बढा कर उन्हें क्रमशः मिडल और हाई स्कूल स्तरों को बनाया गया। महिला शिक्षा मेरी सरकार की सदैव एक विशेष उद्देश्य रहा है और इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के लिये 200 प्राइमरी स्कूल खोले गये है। समाज के कमजोर वर्गों को प्रोत्साहन के रूप में प्राथमिक स्तर पर हरिजन लड़कियों को उपस्थिति पुरस्कार दिये जाते है। प्राथमिक कक्षाओं की 61233 हरिजन कन्या विद्यार्थियों को भी वर्दियां मुफ्त दी जा रही है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों की सुविधा के लिये पंचकुला में एक राजकीय कालेज खोला गया है। तथा गुड़गांव के राजकीय कालेज को महिला कालेज बना दिया गया है।

20. खेल तथा क्रीडायें केवल भाारीरिक उन्नति के लिये ही अनिवार्य नहीं है अपितु स्वस्थ मन एवं स्वस्थ प्रवृत्तियों के विकास के लिये भी आवश्यक है। अनुशासन मित्रता और नेतृत्व

के गुणों का खेलों में भाग लेने के साथ गहरा संबंध है। शिक्षा और अनुपासन के अतिरिक्त साधन के रूप में खेलों की ओर मेरी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। वर्ष 1984-85 के दौरान 38 खेलकूद विकास स्कीमों पर 102 लाख रुपये की राशि खर्च की जायेगी जबकि पिछले वर्ष 81 लाख रुपये की राशि खर्च की गई थी। सरकार ने इस वर्ष खेलकूद के अनिवार्य शिक्षण और अध्यापकों के लिये खेलकूद के रूप में नई सुखद अभिवृद्धियां कही हैं। हाल ही में विभाग ने हरियाणा ओलम्पिक एसोसिएशन के साथ फरीदाबाद में सातवां खेलकूद समारोह सफलतापूर्वक आयोजित किया है।

21. मेरी सरकार राज्य में विशेष कर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उपचार सुविधाओं के विस्तार एवं सुधार के लिये भी लगातार कोशिशें कर रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य उपचार सेवायें उपलब्ध करने के लिये सरकार नये प्राथमिक तथा सहायक स्वास्थ्य केन्द्र खोलती रही है। वर्ष 1983-84 के दौरान तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 13 सहायक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के साथ 12 ग्रामीण डिस्पेंसरियों को सहायक स्वास्थ्य केन्द्र बना दिया गया है। इस वर्ष के दौरान दो अस्पतालों, दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा दो सहायक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण किया गया, जबकि सात अस्पतालों, सात प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 15 सहायक स्वास्थ्य केन्द्रों और 66 उप-स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कार्य चल रहा है। परिवार कल्याण

कार्यक्रम को ऐच्छिक आधार पर जन आन्दोलन के रूप में चलाया जा रहा है। राज्य को देश भर में अपने निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिये गत वर्ष द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ, इस वर्ष निर्धारित लक्ष्य का 77 प्रतिशत जनवरी, 1984 में ही पूरा कर लिया गया। यह स्वतः सिद्ध है कि जनसंख्या में बेरोक टोक वृद्धि के कारण हर क्षेत्र का विकास निश्फल हो जात है। आपके जन-प्रतिनिधि होने के नाते मैं आपका साहयोग अबोध रूप से बढ़ रही जनसंख्या को रोकने हेतु एक स्वैच्छिक जन-आन्दोलन चलाने के लिये चाहता हूँ।

22. मेरी सरकार गांवों में पेय जल उपलब्ध करने के लिये भी तत्पर रही है जो कि 20. सूत्री कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वर्ष 1983-84 के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा द्रुत ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अधीन 415 गांवों में पेय जल सुविधायें उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अनुमान है कि वर्ष 1984-85 के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा एक नये केन्द्रचालित द्रुत ग्रामीण पेय जल सप्लाई कार्यक्रम के अधीन 29.12 करोड़ रुपये की लागत से अन्य 677 समस्या गांवों में यह सुविधा प्रदान की जायेगी।

23. सड़क के विकास की धमनियां हैं, और इस क्षेत्र में हरियाणा राजरू के पास देश की बेहतर सड़क-व्यवस्था है। दिसम्बर, 1983 तक 19518 किलोमीटर लंबी कोलतार सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। जो कि राज्य के कुल क्षेत्र के प्रति वर्ग

किलोमीटर का 0.44 किलोमीटर है तथा राज्य की प्रति लाख जनसंख्या के लिये 151 किलोमीटर बनता है। अब हमारी कोशिश है कि हरिजन बस्तियों तक पक्की सड़कों की व्यवस्था हो जाये। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये वर्ष 1984-85 के दौरान 12.50 करोड़ रुपये की राशि का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। सड़कों का जाल बिछ जाने से सरकार को राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में यात्री बसों की संख्या इस वर्ष के अंत तक बढ़ कर 3000 हो जायेगी। यात्रियों को बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये आधुनिक ढंग के बस-स्टैंड बनाने का काम भी शुरू किया गया है।

24. मेरी सरकार अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों और विमुक्त जातियों के लोगों के भौक्षिक, आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता देती रही है, जोकि 20 सूत्री कार्यक्रम का महत्वपूर्ण भाग है। अनुसूचित जातियों के लगभग 2.33 लाख विद्यार्थियों के लिये विशेष कोचिंग कक्षाओं का आयोजन किया गया है, प्राथमिक और मिडल स्तरों के विद्यार्थियों को पुस्तक-अनुदान की व्यवस्था की गई है और पूर्व मैट्रिक और मैट्रिक-उत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों को वजीफ़े आदि देने के लिये 233.31 लाख रुपये के खर्च की व्यवस्था है। सरकार द्वारा हरिजनों के लिये गृह निर्माण की योजनायें चालू करने के अतिरिक्त हरिजन बस्तियों के पर्यावरण सुधार कार्यक्रम भी पूरे किये गये हैं। मेरी सरकार जाति-प्रथा को समाप्त करने के लिये

दृढ़-संकल्प है और भावत्मक एकता को बढ़ावा देने के लिये अन्तर्जातीय विवाहों के लिये नकदी और सावधि जमा-राशि के रूप में विशेष प्रोत्साहन दिये जायेंगे। अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों की आर्थिक उन्नति के लिये अनेक योजनायें चलाई जा रही हैं। हरियाणा कल्याण निगम द्वारा 31469 लाभ प्राप्त करने वालों को 5.5 करोड़ रुपये से अधिक के कर्जे दिये जा चुके हैं। पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिये वर्ष 1980 में हरियाणा पिछड़े वर्ग कल्याण निगम की स्थापना की गई। निगम द्वारा विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के सहभाग के साथ सीमांत-धन-ऋण योजना प्रारंभ की गई है। वर्ष 1983-84 के दौरान निगम द्वारा 4250 व्यक्तियों को 1.70 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये गये हैं। हरियाणा आवास बोर्ड द्वारा निर्मित निम्न आय-वर्ग-मकानों के 77 सदस्यों को 3.31 लाख रुपये के कर्जे स्वीकृत किये गये हैं। निगम द्वारा कच्चा माल डिपो स्थापित करना भी प्रस्तावित है तथा पिछड़े वर्गों के सदस्यों को व्यवसायों के लिये समुचित रूप से प्रशिक्षित करने के लिये सघन व्यवसाय-प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

25. 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन शिक्षा, युवाओं तथा महिलाओं के लिये अनुपूरक पोषक तथा स्वास्थ्य सुविधायें जुटाने की ओर ध्यान दिया गया है। समेकित शिक्षा, युवा विकास सेवाओं के अधीन 29 परियोजनायें पहले ही स्थापित की गई हैं। तथा 7 और भीघ्न स्थापित की जा रही हैं। 128953 शिक्षा, युवाओं तथा गर्भवती

और पोशक माताओं ने पहले ही इन योजनाओं से लाभ प्राप्त किया है। वर्ष 1984-85 के दौरान 369340 पिताओं और माताओं के लिये पांच और परियोजनायें परिकल्पित हैं। कामकाजी महिलाओं के लिये पहले से स्थापित तीन होस्टलों के अतिरिक्त रेवाडी करनाल, तथा जींद में 3 और ऐसे होस्टल स्थापित करना प्रस्तावित है। गुड़गांव में एक ऐसा होस्टल निर्माणाधीन है।

26. ग्रामीण विकास के साथ-2 मेरी सरकार ने योजनाबद्ध बाहरी विकास की ओर भी उचित ध्यान दिया है। हरियाणा बाहरी विकास प्राधिकरण द्वारा इस वर्ष के दौरान अनेक बाहरी सम्पदाओं के विकास का कार्य अपने हाथ में लिया गया है। तथा आगामी वर्ष में भी ऐसा किया जायेगा। मकानों के लिये निर्माण-स्थलों के आवंटन में समाज के कमजोर वर्गों, युद्ध विधवाओं, भुतपूर्व सैनिकों तथा विकलांगों की ओर उचित ध्यान दिया जा रहा है। 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के अंग के रूप में, हुड्डा द्वारा 1984-85 के अन्त तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये 1200 मकानों का निर्माण करने का प्रस्ताव है। फरीदाबाद में ऐसे 100 मकानों का पहले ही निर्माण कर दिया गया है। हरियाणा आवास बोर्ड द्वारा ग्रामीण आवास-योजना के अधीन मकान उपलब्ध कराने के अतिरिक्त बाहरी क्षेत्रों में भी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिये मकान उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। बाहरी स्थानीय निकायों द्वारा बाहरी क्षेत्रों के समेकित विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया गया है। नगरों में संतोशजनक

नागरिक सुविधायें उपलब्ध करवाई गई है। यहां पर्यावरण सुधारों पर बल दिया गया है, जिनमें स्वच्छ पेय जल, मल निकास-नालियां डालना, सफाई, पक्की गलियां तथा नालियां, और गलियों में प्रकाश व्यवस्था सम्मिलित है। 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन गन्दी बस्तियों के पर्यावरण के सुधार का काम हाथ में लिया गया है तथा स्थानीय निकायों द्वारा लक्ष्यों को संतोशजनक ढंग से प्राप्त कर लिया गया है।

27. हरियाणा पर्यटन विभाग राज्य में निरन्तर बढ़ रहे पर्यटक यातायात की जरूरतों को पूरा करने के लिये लगातार प्रगति करता रहा है। हरियाणा पर्यटन विभाग ने केवल वर्तमान पर्यटन स्थलों के विस्तार का काम ही नहीं किया, बल्कि राज्य में नये पर्यटन आकर्षण-स्थलों का निर्माण भी किया है। यादवेन्द्र गार्डन पिंजौर में बजरीगर नामक एक नया मोटल बनाकर चालू कर दिया गया है। इस मोटल में दस वातानुकूलित कक्ष और एक बहुउद्देशीय भोजकक्ष की व्यवस्था है। सोनीपत में एक मोटल, रेस्तरां और सभा-कक्ष की सुविधायें जुटाने के लिये रैडरॉबिन नामक एक नये पर्यटक काम्पलैक्स की स्थापना की गई है। नये मोटलों के चालू हो जाने से, हरियाणा पर्यटन के पास उपलब्ध, आवास व्यवस्था, 580 बिस्तरों से बढ़ कर 614 बिस्तर हो गई है। कर्णझील पर अधिक पर्यटकों के ठहने की व्यवस्था करने के लिये वर्तमान मोटल तथा रेस्तरां का विस्तार किया जा रहा है। पानीपत में दस और कमरों और एक सभा हाल वाले एक नये मोटल का

निर्माण किया जा रहा है और वर्तमान रेस्तरां का निर्माण किया जा रहा है। राजमार्ग-पर्यटकों की बहुत देर से महसूस की जा रही जरूरत को पूरा करने के लिये हिसार अम्बाला-राजमार्ग पर कैथल में एक नया पर्यटककाम्पलैक्स बनाया जा रहा है जिसके भीड़ ही चालू हो जाने की सम्भावना है। अम्बाला में एक नये पर्यटक काम्पलैक्स का निर्माण भी भीड़ ही आरम्भ किया जा रहा है। बड़खल में लोगों के लिये मनोरंजन की सुविधायें जुटाने के लिये एक ड्राइव-इन-थियेटर की स्थापना की जा रही है। यह उत्तरी भारत में अपनी किस्म का एकमात्र अपूर्व आकर्षण होगा। विभाग नरवाना डबवाली, बहादुरगढ़ और यमुनानगर आदि में भी नये पर्यटक काम्पलैक्सों की स्थापना करने की योजना बना रहा है।

28. हमने कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने को बहुत उच्च प्राथमिकता दी क्योंकि यह राज्य के विकास के लिये अनिवार्य है। यह परम संतोष का विषय है कि पड़ोसी क्षेत्रों में गड़बड़ के बावजूद हमारे राज्य में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह नियन्त्रण में रही है। मैं अपनी सरकार के इस दृढ़ निश्चय को दोहराना चाहूंगा कि समाज के सभी वर्गों और समुदायों की रक्षा के लिये सभी आवश्यक पग उठाये जायेंगे।

29. मैंने पिछले वर्ष के दौरान अपनी सरकार के मुख्य कार्यों तथा आगामी वर्ष के कार्यक्रमों तथा सम्भावनाओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। भाषण समाप्त करने से पूर्व, मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि मेरी सरकार राज्य के लोगों

की आकांक्षाओं को पूरा करने तथा उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिये भरसक प्रयत्न करेगी। मैं आशा करता हूँ कि हरियाणा की जनता के लिये मेरी सरकार द्वारा हाथ में ली गयी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आप सब भी हाथ बंटायेगें।

मैं आपकी विचार-चर्चाओं की पूर्ण सफलता की कामना करता हूँ।

जय हिन्द

श्री मंगल सैन: आन ए प्वायंट आफ आर्डर। स्पीकर साहब, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की कापी मेज पर रखते हुये आपने कहा है एड्रेस देने की कृपा की। हम इस बात से डिफर करते है। उन्होनें यहां आकर एड्रेस देने की तकलीफ व्यर्थ में की है क्योकिं हमें उनकी बातों पर अफसोस है। डैमोक्रेटिक इन्स्टीरूचूशन को बिल्ड-अप करने के लिये स्ट्रेन्थन करने के लिये जब कोईआ जाये तो हमें गाईड कर दीजिये कि हम क्या करें। हमें वे भाब्द अच्छे नहीं लग रहे है।

श्री अध्यक्ष: आखिर वे गवर्नर महोदय है, उनके लिये "कृपा की" के भाब्द कहना ठीक है।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भामदेव सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, इन्होनें '.....' भाब्द के लफज इस्तेमाल किये है, ये नहीं इस्तेमाल करने चाहिये।

.....इन्होंने गवर्नर महोदय को कहा है, यह नहीं कहना चाहिये , आप इनको एक्सपंज कर दीजिये ।

श्री अध्यक्ष: मैं इसको देख लूंगा ।

Shri Mangal Sein: I have not uttered a single word which is objectionable , Sir. लेकिन जो बाद वाली बात है वह नहीं होनी चाहिये ।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, डा0 साहब ने जो कहा है, ठीक कहा है, ये लफज एक्सपंज नहीं होने चाहिये ।.....
.....

श्री अध्यक्ष: ये रिकार्ड न किया जाये ।

भाोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष: अब एक मंत्री भाोक प्रस्ताव रखेंगे ।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन सोवियत राष्ट्रपति श्री यूरी व्लादिमिरोविच आंद्रोपोव के 9 फरवरी, 1984 को हुये दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है ।

श्री आंद्रोपोव काजन्म 15 जून, 1914 को हुआ था । उन्होनें स्नातक की परीक्षा बाटर ट्रांसपोर्ट टैक्नीकल स्कूल से उत्तीर्ण की । वह 1936 में यंग कम्युनिस्ट लीग तथा 1939 में

कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुये। वह 1950-54 और 1962 में रूस की सुप्रीम सोवियत के डिप्टी के पद पर रहे। 1953-57 के दौरान उन्होंने हंगरी में अपने देश के राजदूत के पद पर कार्य किया।

श्री आंद्रोपोव 1961 में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के तथा 1962 में सचिवालय केन्द्रीय समिति के सदस्य रहे तथा 1967-73 में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति तथा पालिट ब्यूरो के उम्मीदवार सदस्य थे। श्री ब्रेझनेव ने 1973 में उन्हें पालिट ब्यूरो के सर्वोच्च सत्ता संगठन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल कर लिया। महासचिव के पद पर नियुक्त होने के पश्चात् उन्होंने भ्रष्टाचार उन्मूलन तथा आर्थिक ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए कार्य किया। 12 नवम्बर, 1982 को उन्होंने सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की बागडोर संभाली। मई 1983 के चुनाव में पालिटब्यूरो और केन्द्रीय समिति दोनों की सदस्यता धारण करके उन्होंने सोवियत संघ के पांच सर्वोच्च नेताओं में स्थान प्राप्त कर लिया।

उनके निधन से भारत एक सच्चे मित्र और विश्व एक महान राजनेता की सेवाओं से वंचित हो गया है। श्री आंद्रोपोव को विश्व भ्रान्ति और भाईचारे की स्थापना में ऐतिहासिक भूमिका निभाने के लिए सदा याद किया जाता रहेगा। सदन सोवियत संघ के भागेक संतप्त लोगों के प्रति अपनी हार्दिक संवदना प्रकट करता है।

यह सदन श्री सी.एम. स्टीफा, कांग्रेस (इ) के महासचिव और भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री के 16 जनवरी, 1984 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाव प्रकट करता है।

श्री सी०एम० स्टीफन का जन्म 23 दिसम्बर, 1918 को केरल के अलेपी जिला के मवेलीकारा स्थान पर हुआ। उन्होंने बी. ए. सेंट थॉमस कालेज, विचूर से की तथा बी.एल. की डिग्री लॉ कालेज, त्रिवेन्द्रम से प्राप्त की।

वर्ष 1952 में अखिल कांग्रेस कमेटी के सदस्य बनने से पूर्व उन्होंने किलौन जिला कांग्रेस कमेटी तथा केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वह 1960 में केरल विधान सभा के सचसय चुने गए तथा 1965 तक इसके सदस्य रहे। वह 1971 से 1977 तक लोक सभा के सदस्य रहे। वह 1975-77 के दौरान कांग्रेस संसदीय पार्टी के उपनेता रहे तथा दो बार के लिए अनुमान समिति के सदस्य भी रहे। वह 1977-79 में छठी लोक सभा के लिए चुने गए तथा 1977-78 में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष रहे। वर्ष 1978-79 में वह कांग्रेस (इ) की संसदीय पार्टी तथा विपक्ष के नेता रहे। 1980 में वह उप चुनाव में विजयी होकर लोक सभा के पुनः सदस्य बने तथा मार्च 1980 से सितम्बर 1982 तक संचार मंत्री रहे। उसके बाद उन्होंने जहाजरानी तथा परिवहन विभाग संभाले। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (इ) के महासचिव का पद सम्भालने के लिए उन्होंने मंत्रिमंडल से पिछले वर्ष त्याग पत्र दिया।

सक्रिय श्रमिक नेता श्री स्टीफन ने नेशनल रिपिंग बोर्ड के अध्यक्ष, केरल की इंटक भाखा तथा कई अन्य श्रमिक संगठनों के प्रेजीडेंट रहे। वह विदेशों में हुए कई सम्मेलनों तथा विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य भी रहे।

उनके निधन से देश एक अग्रणी राष्ट्रीय नेता, अनुभवी सांसद, योग्य प्रशासक तथा प्रमुख मजदूर नेता की सेवाओं से वंचित हो गया है। सदन दिवंगत के भागे संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री भाहनवाज खान के 9 दिसम्बर, 1983 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाव प्रकट करता है।

श्री भाहनवाज खान का जन्म 24 जनवरी, 1914 को जिला रावलपिंडी (अब पाकिस्तान में) के मटोर गांव में हुआ। उनकी शिक्षा प्रिंस ऑफ वेल्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री कालिज तथा इंडियन मिलिट्री अकादमी, देहरादून में हुई तथा फरवरी, 1936 में उन्होंने भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त किया। वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के अधीन आजाद हिन्द फौज में शामिल हुए तथा मजर जनरल के उच्च पद तक पहुंचे। वह नेताजी के एक विवस्त साथी थे। जब वह लाल किले में बन्दी बनाए गए और पंडित जवाहर लाल नेहरू ने मुकदमे में उनकी पैरवी की तो वह पूरे देश में प्रसिद्ध हो गए। वह 1946 में कांग्रेस सेवा दल के

जनरल आफिसर कमांडिंग रहे। वह 1952 में लोक सभा के लिए चुने गए तथा 1967 तक इसके सदस्य रहे। वह जून 1968 से जनवरी 1971 तक एवं दिसम्बर 1968 सय जनवरी 1971 तक क्रम 1: नै नल सीड्ज कारपोरे न ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष रहे। वह 1971 से 1977 तक केन्द्रीय राज्य मंत्री रहे तथा उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला।

उनके निधन से दे 1 एक अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी तथा एक अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया हैं, जिन्होंने मातृभूमि की आजादी के लिए अथक संघर्ष किया। सदन दिवंगत के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री ए.सी. जार्ज के 8 दिसम्बर, 1983 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री ए.सी. जार्ज का जन्म 8 अगस्त, 1930 को केरल में इडापल्ली स्थान पर हुआ। मद्रास से बी.एस.सी. उत्तीर्ण करने के प चात् उन्होंने अमरीका के हार्वर्ड वि विद्यालय से इण्डस्ट्रियल रिले ांज एण्ड बिजनैस मैनेजमेंट का डिप्लोमा प्राप्त किया।

श्री जार्ज एक सक्रिय श्रमिक नेता थे। वह केरल प्रदे 1 यूथ कांग्रेस के दो बार महासचिव रहे। वह वर्ष 1958 और 1961

में रूस, ब्रिटेन तथा पश्चिमी यूरोप में गए। भारतीय युवक प्रतिनिधिमंडल के सदस्य सचिव थे।

श्री ए.सी. जार्ज 1970 से 1977 तक मुकुन्दपुरम् निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के सदस्य रहे। वह मई 1971 से अक्टूबर 1974 तक केन्द्रीय मंत्रिमंडल में उप मंत्री और अक्टूबर 1974 से अगस्त 1976 तक राज्य मंत्री रहे।

उनके निधन से देश एक अनुभवी सांसद और श्रमिक नेता की सेवाओं से वंचित हो गया है। सदन दिवंगत के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन मणिपुर के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री यांगमा गो भौजा के 30 जनवरी, 1984 को हुए आकस्मिक निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री यांगमा गो भौजा का जन्म 15 जुलाई, 1923 को हुआ था। वह मणिपुर सिविल सेवा के सदस्य थे, किन्तु 1970 में इससे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया।

श्री भौजा वर्ष 1972 में मणिपुर विधान सभा के लिए चुने गए। वह 1972-74 के दौरान वित्त मंत्री रहे। उन्होंने 'दि प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट' का गठन किया तथा वह जुलाई से दिसम्बर 1974 तक मुख्य मंत्री रहे। वह वर्ष 1977 में लोक सभा

के लिए चुने गए। 1977 से 1979 तक वह मणिपुर के मुख्य मंत्री रहे।

उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक तथा सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। सदन दिवंगत के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है

यह सदन उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री बिनायक आचार्य के 11 दिसम्बर, 1983 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है

श्री बिनायक आचार्य का जन्म 30 अगस्त, 1918 को उड़ीसा के जिला गंजाम के बरहमपुर नगर में हुआ। उन्होंने 1942 के 'भारत छोड़ो आन्दोलन' में सक्रिय रूप से भाग लिया।

वह 1967 के बरहमपुर निर्वाचन क्षेत्र में उड़ीसा विधान सभा के लिए चुने गए और बाद में विपक्ष के नेता बने। वह 1971 में पुनः उसी निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। वर्ष 1972 और फिर 1974 में राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री रहे। वह दिसम्बर 1976 से जून 1977 तक उड़ीसा के मुख्य मंत्री रहे।

उनके निधन से देश एक अनुभवी सांसद तथा योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। सदन दिवंगत के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन केरल के उप मुख्य मंत्री श्री सी.एच. मोहम्मद कोया के 28 सितम्बर, 1983 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री सी.एच. मोहम्मद कोया का जन्म 15 जून, 1927 को केरल में हुआ। वह 1957 में केरल विधान सभा के सदस्य चुने गये। वह 1961-62 में केरल विधान सभा के अध्यक्ष रहे। वह 1962-67 तथा 1993-77 के दौरान माजरी लोक सभा चुनाव क्षेत्र से लोक सभा के सदस्य रहे। वह वर्ष 1967-72 और पुनः 1977 से मृत्युपर्यन्त विधान सभा के सदस्य रहे।

श्री मोहम्मद कोया ने 1967 से 1972 तथा पुनः 1977-79 के दौरान केरल मंत्रिमंडल में कई महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व निभाया। वह अक्टूबर से दिसम्बर 1979 तक केरल के मुख्य मंत्री तथा दिसम्बर 1981 से मृत्युपर्यन्त उप मुख्य मंत्री रहे।

उनके निधन से देा एक अनुभवी सांसद तथा एक योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। सदन दिवंगत के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री बैजनाथ कुरील के 26 जनवरी, 1984 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री बैजनाथ कुरील का जन्म दिसम्बर 1920 में जिला राय बरेली के गांव लालथेड़ा में हुआ। वह वर्ष 1952 से 1977 तक लोक सभा के सदस्य रहे और मई 1971 से फरवरी 1973 तक केन्द्रीय उप मंत्री रहे। वह लोक सभा अनुमान समिति तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित कबीलों की कल्याण समिति के सदस्य रहे। वह वित्तीय संस्थाओं की संसदीय संयुक्त चयन समिति के चेयरमेन भी रहे।

श्री कुरील मई 1980 में मालहाबाद आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए चुने गए। वह 25 दिसम्बर, 1980को राजस्व मंत्री बने और मृत्युपर्यन्त इसी पद पर रहे।

श्री कुरील संत रविदास आश्रम, राय बरेली के संस्थापक तथा केन्द्रीय हरिजन कल्याण बोर्ड के सदस्य रहे।

उनके निधन से देश एक प्रमुख हरिजन नेता तथा अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। सदन दिवंगत के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन पंजाब के भूतपूर्व कृषि मंत्री चौधरी का गिराम के 20 फरवरी, 1984 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

चौधरी कां पी राम का जन्म फाजिल्का में 24 मार्च, 1932 को हुआ। वह वर्ष 1954 में कांग्रेस में शामिल हुए और पार्टी के संगठन के लिए सक्रिय रूप से कार्य करते रहे।

वह पंजाब विधान सभा के लिए फाजिल्का चुनाव क्षेत्र से वर्ष 1972, 1977 और 1980 के चुनावों में चुने गए।

वह वर्ष 1974-75 में पंजाब विधान सभा की अनुमान समिति के सदस्य रहे।

उनके निधन से दे । एक अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। सदन उनके भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संबेदना प्रकट करता है।

यह सदन भूतपूर्व पैप्सू के विधायक तथा प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी बाबा हीरा सिंह भट्टल के 30 जनवरी, 1984 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

बाबा हीरा सिंह भट्टल, जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ तो उस समय वह ब्रिटि । सेना में सिपाही के पद पर काम कर रहे थे। उस हत्याकांड से द्रवित होकर उन्होंने ब्रिटि । सरकार की नौकरी न करने तथा अपना जीवन दे । की स्वतन्त्रता के लिए अर्पित करने का प्रण लियां

तत्कालीन नाभा रियासत में स्थित अपने गांव भट्टल लौटने पर उनकी गतिविधियों के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा।

उनका घर व भूमि जब्त कर ली गई तथा उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया गया।

श्री भट्टल ने पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में कार्य किया तथा वह नाभा जेल में पंडित जवाहर लाल नेहरू के साथ रहे।

वह वर्ष 1952 में पैप्सू विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए।

उने निधन से देश का एक महान देश भक्त, राष्ट्रवादी नेता तथा भारत के पुराने स्वतंत्रता सेनानियों की पंक्ति के एक महान योद्धा की सेवाओं से वंचित हो गया है। सदन दिवंगत के भोक्त संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन सर्वश्री सरुयद अली जहीर, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री, बसन्त नारायण सिंह, जतिराम चेताराम बरवे, मोहम्मद यूसुफ और बी०आर० नाहटा, सांसद, सदाशिव भांकर बगाइतरक, राज्य सभा के सदस्य, सेठ अचल सिंह, बेनी भांकर भार्मा, गौरी भांकर सिंह, उत्तम चंद रामचंद बोगावत, पी.सीवासंकरम, लोक सभा के भूतपूर्व सदस्य, राजदयो सिंह और राजा राम भास्त्री, संसद के भूतपूर्व सदस्य, इन्द्र सिंह, आनन्द चंद और मृगयन्का मोहन सूर, राज्य सभा के भूतपूर्व सदस्य, सुलतान मोहममद खान, भोपल राज्य विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष, कनई लाल भट्टाचार्य, भूतपूर्व

मंत्री, पं. चमी बंगाल, सुरने दास, भूतपूर्व मंत्री, असम, सु. गील कुमार बागे, भूतपूर्व मंत्री, बिहार, सीता राम जाजू, भूतपूर्व मंत्री, मध्य प्रदेश, हरी दास, भूतपूर्व मंत्री, हिमाचल प्रदेश, मोहन नायक, भूतपूर्व मंत्री, उड़ीसा, राजारामबापू पण्डित, भूतपूर्व राज्य मंत्री, महाराष्ट्र, अफजल भौरीफ और बी. वेंकटस्वामी, विधायक, आन्ध्र प्रदेश, राम नगीना सिंह, विधायक, बिहार, साम उमन, विधायक, केरल, फोमल, विधायक, राजस्थान, एस.सीवासुब्रामनियम, विधायक, तमिलनाडु, जुगल किशोर, विधायक, उत्तर प्रदेश, जनन बिस्वास, विधायक, पं. चमी बंगला, विवेक बोस, सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व जज, गणपति भांकर एन. देसाई, बम्बई के भूतपूर्व मेयर, देस राज चौधरी, भूतपूर्व उप-मेयर, दिल्ली तथा स्वतंत्रता सेनानी, जय इंद्र सिंह, भूतपूर्व विधायक, पंजाब, श्रीमति निहाल कौर, केन्द्रीय कृषि मंत्री राव वीरेन्द्र सिंह की माता, श्रीमती लक्ष्मी देवदास गांधी महात्मा गांधी की पुत्रवधु, श्रीमति लक्ष्मी बेन भार्मा, महात्मा गांधी की दत्तक पुत्री, सैले चन्द्र बोस, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के भाई, स्वामी भीष्म, आर्य समाज के नेता एस. कुमार, जनता पार्टी के नेता, खडग सिंह, स्वतंत्रता सेनानी, सागर निजामी, कवि तथा भ्रान्ति लाला त्रिवेदी, स्वतंत्रता सेनानी के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है और उन के शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे डिप्टी स्पीकर महोदय, के ड्राईवर, श्री जगदीश भार्मा, जिनका निधन हुआ है, उसका भी

नाम इस भाोक प्रस्ताव में भामिल कर दिया जाये। सदन उसके प्रति भी भाोक प्रकट करता है।

श्रीमति चन्द्रावती (बाढड़ा): स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने जिन महानुभावों के विशय में भाोक प्रस्ताव पे ा किया है, मैं उन्हें श्रद्धांजलि पे ा करने के लिए खड़ी हुई हूं, लेकिन मुझे अफसासे के साथ कहना पड़ता है कि हमारे डिप्टी स्पीकर साहब के ड्राईवर श्री जगदी ा कुमार भार्मा का नाम इस लिस्ट में भामिल नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष: श्री जगदी ा कुमार भार्मा का नाम लिस्ट में भामिल कर दिया गया है। अभी मुख्य मंत्री महोदय ने उनके विशय में बोला है।

श्रीमती चन्द्रावती: इस लिस्ट में पहले क्यों नहीं भामिल किया गया ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला): यह लिस्ट पहले की छपी हुई थी। अब भामिल कर दिया गया है।

श्रीमती चंद्रावती: यह आपकी गलती है, नाम पहले आना चाहिए था। जो भी इस दुर्घटना में मारे गये है, उन का नाम इस लिस्ट में आना चाहिए था। दूसरे जो लोग पानीपत या पंजाब में मारे गये है उनके नाम भी इस सूची में रखने चाहिए थे। स्पीकर साहब, जितने भी इस सूची में नाम है, मैं सभी महानुभावों को

श्रद्धांजलि पे ा करती हूं और सहानुभूति भेजती हूं। स्पीकर साहब, जिन महानुभावों के कामों से वाकफियत रखती हूं उनके विशय में चंद श्रद्धा के फूल जरूर पे ा करूंगी।

श्री भाहनवाज खान भूतपूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री पहले आई0एन0ए0 में थे। उन्होंने दे ा के लिए बहुत महान कार्य किया। मेरे पास वे भाब्द नहीं है जिन में मैं उनकी तारीफ कर सकूं। श्री भाहनवाज खान, श्री सुभाश चंद्र बोस जी के निकटतम साथियों में से थे जिन्होंने दे ा के लिए कुर्बानी की लेकिन कांग्रेस सरकार ने आई0 एन0 ए0 को जो नाम और इज्जत देनी चाहिए थी वह नहीं दी। भाहनवाज खान जी का गांव पाकिस्तान में होते हुए भी उन्होंने भारत को अपना दे ा चुना और वे सारी उम्र इस दे ा की भलाई के लिए काम करते रहे।

इसी तरह से चौधरी कां ि राम जी हमारे पडोसी राज्य पंजाब के रहने वाले थे। उन्होंने अपने हल्के को डिवैल्प किया। उनका नाम अच्छे लोगों की गिनती में आता था।

बाबा हीरा सिंह भट्टल बहुत बड़े इन्सान थे। वे हमे ा ईमानदार रहे। पैप्सू में मुझे भी उनके साथ एम.एल.ए. रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने सारी उम्र किसानों की भलाई के लिए काम किया। सारी जिन्दगी कुर्बानी की। उनके परिवार को भी सहानुभूति सन्दे ा भेजती हूं।

जय इन्द्र सिंह, भूतपूर्व विधायक, पंजाब इन्होंने भी अपने समय में काफी काम किया है।

श्रीमती लक्ष्मी देवदास गान्धी, ये स्वर्गीय राजगोपालाचार्य, जो हिन्दुस्तान के सब से पहले गवर्नर जनरल हुए हैं, की पुत्री थी। वे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुत्र श्री देवदास की धर्मपत्नी थी। श्री देवदास जी हिन्दुस्तान टाईम्ज के एडिटर थे। मैं श्रीमती लक्ष्मी देवदास गांधी को भी श्रद्धांजलि पे ा करती हूं और उनके भाोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करती हूं।

इसी तरह से श्री सुभाश चन्द्र बोस के भाई, सैले ा चन्द्र बोस तथा श्री भीष्म स्वामी को भी श्रद्धांजलि पे ा करती हूं। स्वामी भीष्म, आर्य समाज के नेता थे। वे सारी उम्र दे की कुरीतियों के खिलाफ जो भूत प्रेतों की कहानियां हैं उनके विशय में प्रचार करते रहे। मेरा कहने का मतलब यह है कि सारी जिन्दगी कुरीतियों के खिलाफ बोलते रहे। स्पीकर साहब, मैं सभी अन्य महानुभावों को श्रद्धांजलि पे ा करती हूं और उनके भाोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक सहानुभूति तथा संवेदना प्रकट करती हूं।

श्री वीरेन्द्र सिंह (नारनौंद): स्पीकर साहब, सदन के नेता ने जो भाोक प्रस्ताव रखा है, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। पिछले सत्रर मैं जिन महानुभावों की लिस्ट पे ा

हुई थी, उसके पचात् इस लिस्ट के अनुसार 55 महापुरुष हमारे बीच मूं से चले गये हैं। स्वतंत्रता सेनानियों की पीढी आहिस्ता आहिस्ता समाप्त होती जा रही है।

बाबा हीरा सिंह भट्टल चन्द दिनों पहले ही हमारे बीच से चले गये हैं। वे ऐसी पीढी के थे जिन्होंने निष्काम भावना से दे आ के लिए कुर्बानी की थी। उन्होंने दे आ के लिए सब कुछ निष्ठावर कर दिया। उन लोगों की कुर्बानी से दे आ स्वतंत्र हुआ था लेकिन अफसोस है कि अब हम जैसे लोग आ गये हैं, ऐसे लोग आ गये हैं जिनके कारण दे आ की दुर्द आ हो गई है। यह एक लम्बी दुखदायी कहानी है और अब बताने का समय भी नहीं है।

स्पीकर सहाब, इस लिस्ट में रूस के राष्ट्रपति श्री यूरी व्लादिमिरोविच आंद्रोपोव का नाम है। उनका इन्तकाल हो गया। वे जितने दिन अपने ओहदे पर रहे उन्होंने ख्याति प्राप्त की। उन्होंने संसार में पीस कायम रखने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया।

कांग्रेस पार्टी के महासचिव श्री सी.एम. स्टीफन का 16 जनवरी, 1984 को अचानक देहान्त हो गया। जब वे अपनी कांस्टीच्यूंसी में कांग्रेस हाई कमान्ड के हुक्म से पब्लिक के लोगों से कांटेक्ट करने गये हुए थे तो पब्लिक मीटिंग में उनका अचानक देहान्त हो गया। पार्लियामेंट में एकाध बार उन्हें सुनने

का मौका मिला है। जब वे कांग्रेस दल के नेता होते थे तब मैंने पार्लियामेंट में बोलते हुए सुना। बहुत ही अच्छा बोलते थे।

इसके अलावा श्री भाहनवाज खान जी की भी बड़ी भारी कुर्बानी है। वे सुभाश चन्द्र बोस के अग्रणी साथियों में से थे। वे भी आज हमारे बीच में नहीं रहे। उन्होंने अंग्रेज सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी। अंग्रेजों ने उनके खिलाफ केस भी चलाया लेकिन वे कभी डरे नहीं। आज उस पीढी के लोग आहिस्ता आहिस्ता हमारे बीच से उठते जा रहे हैं।

श्री यांगमा जी भौजा, मणिपुर के मुख्य मंत्री भी हमारे बीच से चले गये। उनकी अचानक गोली मार कर हत्या कर दी गई। जब इतने बड़े बड़े व्यक्ति भी सेफ नहीं हैं तो यही कहा जा सकता है कि देश में कोई सिक्योरिटी इन्सान की नहीं है। आज इन्सदजैन्सी ईस्ट्रन सैक्टर में दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। यह गम्भीरता से सोचने की बात है।

चौधरी कां जी राम जी हमारे पड़ोसी प्रदेश पंजाब के अबोहर के रहने वाले थे। उनसे भी एक बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनका 52 वर्ष की आयु में दिन का दौरान पड़ने से देहान्त हो गया। उस इलाके में उनका काफी चर्चा रहता था। वे एक अच्छे मंत्री और अच्छे इंसान भी थे।

इसके अलावा श्रीमती निहाल कौर, राव वीरेन्द्र सिंह जो हाल में केन्द्र में कृषि मंत्री हैं और हरियाणा के मुख्य मंत्री भी

रहे, की माता थी। उनकी आयु तो अधिक थी परन्तु मां का साया और प्यार बहुत बड़ी चीज है, राव साहब उनके प्यार और साया से वंचित हो गये हैं। जो मां का प्यार मिलता है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती।

हमारे बीच से स्वामी भीष्म जो हरियाणा प्रान्त के रहने वाले थे, चले गये। उनका एक सादा जीवन था। स्पीकर साहब, वे तो आपके पडोस में ही रहते थे। उन्होंने सारी उम्र ब्रह्मचर्य का पालन किया। ब्रह्मचर्य का पालन करने और सादा जीवन व्यतीत करने से ही उनकी 125 साल की आयु में मृत्यु हुई। उन्होंने सारा जीवन आर्य समाज के लिए और लोगों के हित के लिए लगाया। हरियाणा प्रान्त ने एक समाज सेवी को खो दिया।

श्री एस. कुमार, हमारी जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से थे। उनका अचानक निधन होने से हमने एक अच्छे नेता को खो दिया है।

स्पीकर साहब, इस प्रस्ताव में जगदी ा भार्मा जो डिप्टी स्पीकर साहब का ड्राईवर था उनका नाम तो भामिल हो गया, परन्तु बहादुरगढ़ में अकस्मिकात रेल दुर्घटना में जो 54 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उनके नाम भामिल नहीं किये गये। मैं मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उन लोगों के नाम भी इसमें भामिल कर दिये जायें क्योंकि रेलवे विभाग की मिस मैनेजमेंट के कारण उन लोगों की मौत हुई है। मासूल बेगुनाह लोग, जिनके परिवार

उनका धरों पर इन्तजार कर रहे थे, धर नहीं पहुँच सके। इस प्रस्ताव का मैं, स्पीकर साहब, अपनी ओर से अपने दल की ओर से समर्थन करता हुआ दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

श्री मंगल सैन (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने सदन में लोक प्रस्ताव रखा है जिस पर दो वरिष्ठ सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। मैं भी अपने और अपने दल की ओर से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हुआ, उनकी भावनाओं के साथ अपनी भावनाएं जोड़ता हुआ, कुछ निवेदन करना चाहता हूँ।

रूस के राष्ट्रपति महोदय दिवंगत हो गये और जैसा कि रूस का सिस्टम है, उस सिस्टम के अनुसार वह ऊपर तक आये और एक समय ऐसी भी आया कि जनरल सैक्रेट्री बने। उनके जिम्मे एक काम सौंपा गया। वह काम यह था – to eradicate corruption and to modernise the economic structure of Russia. रूसीतन्त्र में भ्रष्टाचार को समाप्त करने और आर्थिक ढांचे का आधुनिककरण करने का काम उनको सौंपा गया। उन्होंने इस दिशा में बड़ा भारी प्रयास किया। वह भी इस संसार से चले गये।

स्पीकर साहब, कांग्रेस के महामंत्रियों में से एक महामंत्री श्री सी.एम. स्टीफन महोदय का भी देहान्त हो गया। उनके गुणों की चर्चा भी काफी विस्तार से हो चुकी है। कांग्रेस (आई)जब विपक्ष में रह गयी थी, तो उस समय उन्होंने बड़ी

योग्यता से अपने दल को संभालने का प्रयत्न किया। दोबारा चुनावों के बाद जब वह मंत्री बन गए तब भी उन्होंने बड़ी लगन से काम किया।

इसी प्रकार से श्री भाहनवाज खां जो स्वर्गीय सुभाष चन्द्र बोस के साथी थे, भी इस संसार में नहीं रहे। इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत को गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए, स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए देश के भीतर एक आन्दोलन चला। देश के बाहर भी श्रीमान सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में एक बड़ा भारी प्रयास किया गया। देश के बाहर भी श्रीमान सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में एक बड़ा भारी प्रयास किया गया। अंग्रेज ने जब यह देखा कि देश के अन्दर और बाहर दोनों ओर से उसके ऊपर ताबडतोड़ आक्रमण हो रहे हैं, वह भारत छोड़ कर चला गया। यह बात दूसरी है कि वह जाते वक्त भारत का बंटवारा कर गया। लाखों लोग घरों से बेघर हो गये। माताओं के बेटे मर गये, कई बहनों के सुहाग उजड़ गये। लेकिन हमें आजादी मिली। स्पीकर साहब, इसी प्रस्ताव में उनके छोटे भाई का भी स्मरण किया गया है।

स्पीकर साहब, भागे प्रस्ताव एक ऐसा अवसर होता है जिस वक्त गुणों की चर्चा होती है। तस्वीर का रंगान पहलू सामने रखना होता है। स्पीकर साहब, उन महापुरुषों के आदर्शमयी जीवन से हमें प्रेरणा भी लेनी होती है। मेरे भाई बीरेन्द्र सिंह जी ने कहा था कि कहां उन बलिदानों का भारत, उनका नेतृत्व

उच्चकोटि का और कहां आज की परिस्थितियां, वर्णन से बाहर हैं। इस समय अवसर नहीं है कि हम उन सारी दुखदायी बातों को कहें।

स्पीकर साहब, इसी प्रकार महात्मा गांधी जी की पुत्रवधु की चर्चा भी आयी है। उन्होंने अन्तर्जातीय विवाह का एक ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम, समय का कुछ फेर ही ऐसा है कि कभी कभी पांच वर्षों में ले लिया जाता है। आगे पीछे हमने नहीं देखा कि उनके परिवार को भी कभी कहीं सम्मानित किया गया हो। स्पीकर साहब, ऐसी बातें देखकर और सोच कर बड़ा दुख होता है वे इस बात के लिए मोहताज भी नहीं थे जो फांसी पर झूल गये, अंग्रेज की गोलियों का शिकार हो गये और देश की आजादी के लिए कुर्बान हो गये। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि लोग हमारी समाधियों पर फूल मालाएं चढ़ाएं लेकिन हमारा कर्तव्य है कि उन सतपुरुषों को हमें याद रखें।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पूज्य महात्मा गांधी की मुंह बोली बेटी भी इस संसार से चली गयी। हमें पता नहीं उस बेटी ने कितनी सेवा बापू गांधी की की होगी। आज के इस वातावरण में, 37 वर्षों की आजादी के बाद भी, आज के वातावरण में आतंकवाद का कितना बोलबाला है। कहीं पर भूतपूर्व मुख्य मंत्री को गोलियों से उड़ा दिया जाता है, कहीं पर डी.आई.जी. (पुलिस) की गोली से उड़ा दिया जाता है, कहीं पर एस.एस.पी. पर आक्रमण

हो रहे हैं। इन्स्पैक्टर और पुलिस के कांस्टेबलज की तो गिनती ही नहीं हैं, बेचारे निहत्थे, निर्दोश लोगों को दिन दिहाड़े बसों से उतार कर गोलियों से भूट कर दिया जाता है। धार्मिक स्थानों को अपवित्र किया जाता है, आग लगायी जाती है और गोलियां चलायी जाती हैं। लोगों को उकसाने और भड़काने के लिये धर्म स्थानों से गोलियां चलाई जाती है। स्पीकर साहब, अगर समय रहते सरकार ने सारी स्थिति पर काबू पा लिया होता, जिस प्रकार कि 1980 के चुनावों के वक्त कहा गया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम यह काम करेंगे तो लोगों की इतनी बुरी हालत न होती। (व्यवधान व भाोर)

परिवहन मंत्री (कर्नल राव राम सिंह): स्पीकर साहब, ओबिचुरी रैफ्रेंसिज में ऐसी बात कहना, कोई जायज बात नहीं लगती। (व्यवधान व भाोर)

Sh. Mangal Sein: Sir, he is unnecessarily interrupting me. (Interruptions & noise.)

मैंने तो सीमा के अन्दर रह कर ही बातें कहीं हैं, कोई गलत बात नहीं कही है। मेरा निवेदन यह है कि उन सब लोगों को, जिन बेगुनाहों को गोलियों से उड़ाया गया है, वह सारे के सारे इस प्रस्ताव के अन्दर शामिल किया जाने चाहिये। चाहे वे हरियाणा के अन्दर मरे हैं, पंजाब की धरती पर मरे हैं, मीणपुर की धरती पर मरे हैं या देश में कहीं दूसरी जगहों पर मरे हैं। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह निवेदन करूंगा कि भविष्य

में माताओं से बेटे अलग न हों, बहनों से उनके सुहाग न लुटें और भाइयों से अपनी बहनें और बच्चे जुदा न हों, इसके लिए सरकार को कारगर कदम उठाने चाहिए। स्पीकर साहब, अगर सरकार के अन्दर ऐसी भावना रहेगी और वह कोई ठोस कदम इसके लिए उठायेगी तो अच्छी बात होगी।

स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी की भावनाओं के साथ मैं अपने आप को जोड़ते हुए यह कहना चाहता हूँ कि जो सतपुरुश इस संसार से चले गये, उनमें से ए सरदार जय इन्द्र सिंह भी थे। वे एक अच्छे सक्रिय विधायक थे। दोनों मुख्य मंत्रियों के साथ, पहले सरदार प्रताप सिंह कैरों के साथ और फिर कामरेड राम किान जी के साथ, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कमा निभाया। उसके बाद पंजाब और हरियाणा अलग अलग हो गये। गुरमुख सिंह मुसाफिर, दरबारा सिंह और ज्ञानी जैल सिंह के साथ भी वे रहे। वे बड़े एक्टिव वर्कर थे। बड़े सुलझे हुए आदमी थे। बड़े नैनेलिस्ट विचारों के थे। कभी उन्होंने साम्प्रदायिक बात को भड़कने नहीं दिया। यह मेरी अपनी जानकारी है। वे भी इस संसार से चले गये। मैं उनको भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, इसमें हमारे पूज्य स्वामी भीष्म जी का भी नाम आया है। हरियाणा का कोई ऐसा आदमी होगा जो उनके जीवन, उनके आचरण और उनकी वाणी से परिचित न हो और प्रभावित न हो। उनका जीवन बहुत ही आदर्शमयी जीवन था। उन्होंने जीवन में वेदों का प्रचार किया और समाज की गलत

मर्यादाओं और मान्यताओं से जीवन भर संघर्ष किया। वे बहुत ही आदर्शमयी व्यक्ति थे।

इस लिस्ट में हमारे बहुत से विधायक और सांसद हैं जो इस संसार से चले गए हैं। स्पीकर साहब, जो भी इस संसार में आया है उसको एक न एक दिन अवश्य जाना है और हम सब को भी जाना है।

मैं इन भावों के साथ भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने चरणों में रखे और उनको सवगति प्राप्त हो और साथ ही मैं यह भी चाहूँगा कि यह सरकार बेगुनाह लोगों की हिफाजत करें। इन भावों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूँ।

16.00 बजे

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, माननीय डाक्टर साहब ने और चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि जो बेगुनाह लोग चाहे वे हरियाणा में मारे गए हैं या पंजाब में मारे गए या चाहे किसी और प्रदेश में मारे गए उनको भी इस भावक प्रस्ताव में शामिल किया जाए। स्पीकर साहब, उनके नाम तो हमारे पास नहीं है लेकिन मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ कि उनके प्रति जरूर भावक प्रकट किया जाए।

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बरज, असैम्बली के पिछले सत्र के बाद हम से बहुत सी पर्सनलटीज अलग हो गई हैं। आनरेबल मैम्बरज, आप मुझसे सहमत होंगे कि जिन पर्सनलटीज का

जिन्होंने इन ओबिचुअरी रैफ्रैन्सिज में आया है उनमें अनेक महान हस्तियां थीं। इसमें कोई भाव नहीं कि उनकी डैथ्स से इस देश को, प्रदेश को बहुत घाटा हुआ है। जिसकी पूर्ति करना बहुत ही डिफिकल्ट है। यह लिस्ट तो बहुत लम्बी है परन्तु इसमें से कुछ एक का जिकर करना मेरे लिये बहुत जरूरी है।

श्री यूरी आंद्रोपोव सोवियत यूनियन के प्रेजीडेंट थे। He was inducted into the Supreme ruling organ the Politburo as a full member by Sh. Brezhnev in 1973. उन्होंने जनरल सेक्रेटरी की अप्वायंटमेंट के बाद करण्डान को दूर करने और इकॉनोमिक स्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की। He took over the reins of the Soviet Communist Party in November, 1982. The name of Mr. Andropov, an outstanding leader of the Communist Party and the Soviet State, a staunch fighter for the ideals of communism and peace, will always remain in the heart of progressive humanity and would be remembered for the initiatives proposed by him to promote and expand Indo-Soviet ties. He was in fact a statesman of high stature.

श्री सी.एम. स्टीफन हमारे फार्मर यूनियन मिनिस्टर थे, who was first elected to Kerala Legislative Assembly in 1960 and to the Lok Sabha in 1971. He remained Union Minister for Communication, Shipping and Transport before joining the party affairs, वह एक ऐक्टिव ट्रेड यूनियनिस्ट थे। He was a member of various important delegations and conferences abroad. उनकी डैथ से देश ने एक फ्रंट रैंकिंग नेशनल लीडर

एंड एबल एडमिनिस्ट्रेटर तथा एक प्रोमिनेंट लेबर लीडर खो दिया है।

श्री भाहनवाज खान, हमारे फौरमर यूनियन स्टेट मिनिस्टर थे। He was educated at Prince of Wales Royal Indian Military College and Indian Military Academy, Dehradun. उनको इंडियन आर्मी में 1936 में कमिशन मिला था। He joined Indian National Army under Netaji Subash Chandra Bose and rose to the rank of Major General. He was also a close associate of Netaji. He came in the limelight when he was detained in the Red Fort and Sh. Jawahar Lal Nehru defended him in the trial. वह पहली बार लोक सभा के लिए 1952 में इलेक्ट हुए। उनकी डैथ से देने एक टॉप रैंकिंग फ्रीडम फाइटर और सीजन्ड पार्लियामेन्टेरियन खो दिया है।

श्री ए.सी. जार्ज हमारे फौरमर यूनियन मिनिस्टर आफ स्टेट थे। वह एक ऐक्टिव ट्रेड यूनियननिस्ट भी थे। He was Member Secretary of the Indian Youth Delegation to Russia, U.K. and Western Europe वह लोक सभा के सात साल तक मੈम्बर रहे। उनकी डैथ से देने एक ट्रेड यूनियननिस्ट खो दिया है।

श्री भौजा मनिपुर के फौरमर चीफ मिनिस्टर थे। वह मनिपुर असैम्बली में 1972 में पहली बार इलेक्ट हुए और फाइनैस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर भी रहे। उनकी डैथ से देने एबल एडमिनिस्ट्रेटर खो दिया है।

श्री बिनायक आचार्य, उड़ीसा के फारमर चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट से ऐक्टिव पार्ट लिया था। वह कई सालों तक उड़ीसा में मिनिस्टर भी रहे।

श्री सी.एच. मोहम्मद कोया केरल के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। वे 1957 में फर्स्ट असेम्बली के लिए इलैक्ट हुए। 1961-62 में वे असेम्बली के स्पीकर भी रहे। वह कई सालों तक लोक सभा के मैम्बर भी रहे।

श्री बैजनाथ कुरील 1952 से 1977 तक लोक सभा के मैम्बर और यूनियन डिप्टी मिनिस्टर रहे। He was also Chairman of Joint Select Committee of Parliament for Financial Institutions. वह अपनी मौत के दिन तक उत्तर प्रदेश के रैवेन्यू मिनिस्टर रहे। उनकी डैथ से देश ने एक प्रोमिनेंट हरिजन लीडर खो दिया है।

चौधरी कांति राम हमारी सिस्टर स्टेट पंजाब के फोरमर एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। He remained actively engaged in the organisational work of the party. वह तीन बार पंजाब विधान सभा के लिए इलैक्ट हुए। उनकी डैथ से देश ने एक सीजन्ड पार्लियामन्टेरियन खो दिया है।

बाबा हीरा सिंह भट्टल हमारी सिस्टर स्टेट पंजाब के ही रहने वाले थे। उन्होंने कन्ट्री की फ्रीडम के लिए अपनी लाइफ को सैक्रीफाइस कर दिया। He was jailed for his activities and

under-went imprisonment for a total period of 21 years. वह 1952 में पैप्सू असेम्बली के लिए इलैक्ट हुए थे। उनकी डैथ ने एक ग्रेट पैट्रिआट और लीजैन्डरी हीरो खो दिया है।

मैं इन सब ग्रेट पर्सनलीटीज और बाकी जिनका इस लिस्ट में जिकर है और बाकी नाम जो हादसों में लोग मारे गए उन सब को होमेज पे करता हूँ। मैं इस हाउस की डीप सिम्पथीज को ब्रीन्ड फैमिलीज तक पहुंचा दूंगा।

अब मैं हाउस से अपील करूंगा कि दो मिनट के लिए खड़े होकर होमेज पे करें।

(इस समय दिवंगत आत्माओं के सम्मान में सदन ने खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)

विभिन्न विशयों का उठाया जाना

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मेरी एक सबमी तन है और मेरा प्रस्ताव है कि चौधरी वेदपाल जी पर जो कातिलाना हमला हुआ था उसके बारे में हम भगवान की भुक्रगुजारी का प्रस्ताव पास करें और उनको मुबारिकबाद दें कि वे बालबाल बच गए।

श्री अध्यक्ष: कल कर लेंगे।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मेरे दो एडजर्नमेंट मो ांज थे ...।

श्री अध्यक्ष: मो उन मेरे पास आए हैं लेकिन मैंने अभी उन्हें देखा नहीं है।

श्री मंगल सैन: आप सारे हाउस की तरफ से मुबारिकबाद दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष: मेरे ख्याल से कोई मैम्बर नहीं रहा होगा जिन्होंने मुबारिकबाद न दी हो।

श्री मंगल सैन: हाउस में कहना और बात है।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भामोर सिंह सुरजेवाला): स्पीकर साहब, चूंकि यह इतने तीन चार दिन पहले का ही है और बाहर के लोगों ने और यहां के मैम्बर साहेबान ने चौधरी वेदपाल जी को पहले ही मुबारिकबाद दे दी है। मेरे विचार में चौधरी वेदपाल जी भी यहां पर इस बारे में डिस्कान नहीं चाहेंगे, यहांपर इस बात को फारमलाइज करना नहीं चाहेंगे। इंफारमली हम सबने उनको पहले ही मुबारिकबाद दे दी है, इसलिए अब इस इशू को दोबारा यहां पर चर्चा का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए।

श्री वेदपाल: स्पीकर साहब, आप सब भाइयों का प्यार और आर्तिवाद मेरे साथ था जिसकी वजह से मेरी जान की बख्शी हुई। इसलिए मैं समझता हूं कि जब दोबारा इस हाउस में इस बारे में डिस्कान की कोई आवश्यकता नहीं है। जनता का

और आप सब भाईयों का मेरे साथ प्यार बना रहना चाहिए। मुझे इसी में ही खुशी है। धन्यवाद।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, पार्टी डिस्प्लिन को ध्यान में रखते हुए मैंने एक अच्छे सन्दर्भ में बात कही थी। अगर इस बात की कोई कसम डाली गयी है तो कोई बात नहीं। हमारी सब की गुडविल साथ है।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मेरी गुजारिश है कि पिछले दो सालों की हाउस की डिबेट्स नहीं छपी है। इस बारे में, मैंने आपको चिट्ठी भी लिखी है जिसका अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला है। इसलिए मैं आपसे इस बारे में जानना चाहूंगी।

Mr. Speaker: I am considering it.

अध्यक्ष द्वारा घोशणा

1. पैनल आफ चेयरमैन

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, हरियाणा विधान सभा के रूलज आफ प्रोजिसर एण्ड कन्डक्ट आफ बिजनैस के रूल 13(1) के अधीन, मैं फालोइंग मैम्बर्ज को पैनल आफ चेयरमैन में काम करने के लिए नोमिनेट करता हूँ:-

1. श्री सागर राम गुप्ता

2. श्री इन्द्र सिंह नैन
3. श्री महेन्द्र प्रताप सिंह
4. श्री रोशन लाल आर्य

2. कमेटी आन पैटी गन्ज

श्री अध्यक्ष: साहेबान, हरियाणा विधान सभा के रूलज आफ प्रोसिजर एण्ड कन्डक्ट आफ बिजनैस के रूल 289(1) के अधीन, मैं फालोइंग मैम्बर्ज को कमेटी आन पैटी गन्ज में काम करने के लिए नोमिनेट करता हूं:-

1. श्री वेद पाल (डिप्टी स्पीकर) एक्स औफि गायो चेयरमैन,
2. श्री बलवीर सिंह ग्रेवाल
3. श्री धर्मबीर गाबा
4. श्री निर्मल सिंह
5. श्री रोशन लाल आर्य

सचिव द्वारा घोशणा

राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिये गये बिलों सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, अब सैक्रेट्री साहब अनाऊंसमेंट करेंगे ।

सचिव: मैं उन विधेयकों को द ाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने सितम्बर सत्र, 1983 में पारित किए थे तथा जिन पर राष्ट्रपति/राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, सादर की मेज पर रखता हूँ ।

Statement

1. The Haryana Ceiling on Land Holdings (Amendment) Bill, 1983.
2. The Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill, 1983.
3. The Haryana Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Amendment Bill, 1983.
4. The Haryana Rural Development Fund Bill, 1983.
5. The Punjab Panchayat Samitis (Haryana Second Amendment) Bill, 1983.
6. The Haryana Apartment Ownership Bill, 1983.
7. The Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 1983.

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, अब मैं वेरियस बिजनैस के बारे में बिजनैस एडवाइजरी कमेटी द्वारा फिक्स किया गया टेबल रिपोर्ट करता हूँ।

“The Committee met at 11.00 A.M. on Monday, the 12th March, 1984 in the Chamber of the Hon’bel Speaker.

The Committee recommended that unless the Speaker otherwise directs, the Assembly, whilst in Session, shall meet on Mondays at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. and on Tuesday, Wednesdays, Thursdays and Fridays at 9.30 A.M. and adjourn at 1.30 P.M., without question being put.

The Committee, after a great deal of discussion, also recommended that the Business on the 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 19th and 20th March, 1984, be transacted by the Sabha as follows:-

The House will meet immediately half an hour after the conclusion of the Governor’s Address on the 12 th March, 1984	1	Laying of the Governor’s Address on the Table of the House.
	2	bituary References
	3	Presentation and adoption of the 1 st Report of the Business Advisory Committee.

	4	Papers to be laid/re-laid on the Table of the House.
	5	Presentation of three Preliminary Reports of the Committee of Privileges and extension of time for presentation of the final reports thereon.
Tuesday, the 13 th March, 1984 (9.30 A.M.)	1	Question Hour.
	2	Presentation of Excess demands over grants and Appropriations for the years 1978-79, 1979-80 & 1980-81.
	3	The Supplementary Estimates (Second Intalment) 1983-84 and the Report of the Estimates Commitee thereon.
	4	Leave to introduce and introduction of the following Government Bills:
	(i)	The Faridabad Complex (Regulation and Development) Amendment

		Bill, 1984.
	(ii)	The Haryana Affiliated Colleges (Security of Service) Amendment Bill, 1984.
	(iii)	The Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill, 1984.
	(iv)	The Industrial Disputes (Haryana Amendment) Bill, 1984.
	(v)	The Haryana Cooperative Societies Bill, 1984.
	5	Discussion on Governor's address.
Wednesday, the 14 th March, 1984 (9.30 A.M.)	1	Question Hour.
	2	Resumption of discussion on Governor's Address
Thursday, the 15 th March, 1984 (9.30 A.M.)	1	Question Hour.
	2	Non Official Business.
Friday, the 16 th March, 1984 (9.30 A.M.)	1	Question Hour.

	2	Resumption of disussion on Governor's address.
Saturday, the 17 th March, 1984		OFF-DAY
Sunday, the 18 th March, 1984		HOLIDAY
Monday, the 19 th March, 1984 (2.00 P.M.)	1	Question Hour
	2	Resumption of discussion on Governor's Address and Voting on Motion of Thanks.
Tuesday, the 29 th March, 1984 (9.30 A.M.)	1	Question Hour.
	2	Presentation of Budget for the year 1984-85.

The Committee then decided to meet on the 19th March, 1984 at 11.00 A.M. in the Chamber of the Speaker.”

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsheer Singh Surjewala): Speaker, Sir, I beg to move:-

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:-

कि यह सदन बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की फर्स्ट रिपोर्ट में दी गयी सिफारिाँ के साथ सहमत है।

(कोई मैम्बर नहीं बोला)

श्री अध्यक्ष: प्र न है:—

कि यह सदन बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की फर्स्ट रिपोर्ट में दी गयी सिफारिाँ के साथ सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सदन की मेज पर रखे गए/पुनः रखे गए कागज पत्र

Mr. Speaker: Now a Minister will lay/relay papers on the Table of the House.

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsheer Singh Surjewala): Sir, I beg to lay on the Table:-

1. The Faridabad Complex (Regulation and Development) Amendment Ordinance, 1984 (Haryana Ordinance No. 1 of 1984).

2. The Haryana General Sales Tax (Amendment) Ordinance, 1984 (Haryana Ordinance No. 2 of 1984).

3. The Haryana Urban Development Authority (Amendment) Ordinance, 1984 (Haryana Ordinance No. 3 to 1984).

4. The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1982-83 (Revenue Receipts) of the Government of Haryana.

Sir, I beg to re-lay on the Table:-

5. The Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 19/H.A. 20/73/S. 64/Amd. (I)/83, dated the 1st February, 1983 alongwith its corrigendum dated the 22nd February, 1983, regarding the Haryana General Sales Tax (First Amendment) Rules, 1983, as required under Section 64 of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

6. The Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 51/H.A. 20/73/S. 64/83, dated the 20th July, 1983, regarding the Haryana General Sales Tax (Third Amendment) Rules, 1983, required under Section 64 of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

Sir, I further beg to lay on the Table:-

7. The 7th Annul report of the Haryana Land Reclamation and Development Corporation Limited for the year 1980-81, as required under section 619-A (3) of the Companies Act, 1956.

8. The Annual Audit Report for the year 1981-82 of the Haryana Agricultural University, Hissar, as required under Section 34(5) of the Haryana & Punjab Agricultural Universities Act, 1970.

9. The 8th Annual Report and Accounts for the year 1981-82 of the Haryana Seeds Development Corporation Ltd.,

as required under Section 619-A(3) of the Companies Act, 1956.

10. The 1st Annual Report and Balance Sheet 1976-77 of the Haryana State Handloom & Handicrafts Corporation Ltd., as required under Section 619-A(3) of the Companies Act, 1956.

11. The 2nd Annual Report and Balance Sheet for the year 1977-78 of the Haryana State Handloom & Handicrafts Corporation Ltd., as required under Section 619-A(3) of the Companies Act, 1956.

12. The 3rd Annual Report and Balance Sheet for the year 1978-79 of the Haryana State Handloom & Handicrafts Corporation Ltd., as required under Section 619-A(3) of the Companies Act, 1956.

13. The 4th Annual Report and Balance Sheet for the year 1979-80 of the Haryana State Handloom & Handicrafts Corporation Ltd., as required under Section 619-A(3) of the Companies Act, 1956.

14. The 16th Annual Report for the year 1982-81 of the Haryana Warehousing Corporation, as required under Section 31(11) of the Warehousing Corporation Act, 1962.

15. The General Administration Department (General Services) Haryana Notification No. G.S.R. 66-Const./Art. 320/Amd. (1)/83, dated the 17th November, 1983 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Function) First Amendment Regulations, 1983, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

16. The General Administration Department (General Services) Haryana Notification No. G.S.R. 4/Const./Art. 320/Amd. (2)/84, dated the 25th January, 1984 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Function) First Amendment Regulations, 1984, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

17. The Annual Report on the working of the Haryana Public Service Commission for the year 1980-81, as required under Article 323(2) of the Constitution of India.

18. The Annual Report on the working of the Haryana Public Service Commission for the Year 1981-82, as required under Article 323(2) of the Constitution of India.

ब्रीच आफ प्रिविलेज के मामलों सम्बन्धी प्रिविलेजिज कमेटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पे । करना तथा अन्तिम रिपोर्ट पे । करने के लिए समय बढ़ाना:—

1. 24-5-82 को राज भवन में हरियाणा के राज्यपाल का कथित अपमान करने, गाली देने तथा बल प्रयोग करने के लिए चौधरी देवीलाल, एम.एल.ए. के विरुद्ध ।

Sh. Inder Singh Nain (Chairman Committee of Privileges): Sir, I beg to present the Fourth Preliminary Report of the Committee of Privileges of the Haryana Vidhan Sabha on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege against Ch. Devi Lal, M.L.A. for alleged insulting, abusing and man handling the Governor of Haryana in Raj Bhawan on the 24th May, 1982.

Sir, I also beg to move:-

That the times for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of next session.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:-

कि सदन को अन्तिम रिपोर्ट पे ा करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

श्री वीरेन्द्र सिंह (नारनौंद): स्पीकर साहब, प्रिविलेज कमेटी के चेयरमैन चौधरी इन्द्र सिंह नैन ने प्रिविलेज कमेटी की यह चौथी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सदन में रखी है। इस बार भी इन्होंने सदन से प्रार्थना की है। कि उनको फाइनल रिपोर्ट पे ा करने के लिए और टाइम दिया जाए क्योंकि ये अब तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए है।

श्री अध्यक्ष: इसमें निर्णय की बात नहीं है। जो डिफेंस विटनसिज आपने तलब करवाए हैं, मेरा ख्याल है उसमें कोई छोड़ा ही नहीं है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, डिफेंस विटनसिज कौन कौन है, जरा बता दें। क्या कोई वी.आई.पी है ?

श्री शिक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदी ा नेहरा):

.. तो हाजिर नहीं हो रहा निर्णय कैसे होगा।

श्री अध्यक्ष: डा. साहब वह बहुत लम्बी सूची है, मेरे मुहं जबानी याद नहीं है। मैं आपको अलग से बता दूंगा।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, राज्य शिक्षा मंत्री ने कहा कि हाजिर नहीं था यह भाब्द एक्सपंज करवा दें।

श्री अध्यक्ष: मुलजिम भाब्द कार्यवाही में नहीं आएगा।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, चौधरी देवी लाल के नेहरा साहब की उम्र के लड़के हैं मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब ये जिन्दगी में दाखल हुए तो चौधरी देवी लाल के ही चले हुआ करते थे। यह बहुत छोटी बात है जो इनको नहीं कहनी चाहिए थी। ये खुद वकील हैं और ये एक्यूज्ड की डैफिनिशन जानते हैं कि वह किसको कहते हैं। ये पेन से वकील रहे हैं इसलिए इनको पता होना चाहिए कि एक्यूज्ड क्या होता है और क्या नहीं होता। तो स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा अर्ज कर रहा था कि इस रिपोर्ट की प्रगति अब तक कोई विशेष नहीं हुई है। डिफेंस विटनेसजि की लिस्ट तो चौधरी देवी लाल जी की तरफ से अब दी गई होगी लेकिन उससे पहले डेढ़ सल की इस कमेटी की क्या कार्य प्रणाली रही है। ये हर बार जो टाइम की एक्सटेंशन मांगते हैं, इससे यह प्रतीत होता है कि ये एक आनरेबल मैम्बर को महज तंग करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसा करके यह कमेटी अपना कार्य काल बढ़ाती जा रही है। स्पीकर साहब, मैंने पहले भी

इस सदन में अर्ज किया था कि किसी प्रकार से भी यह मामला ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं बनता ।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भामोर सिंह सुरजेवाला): स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर हैं ये तो इस तरह से आरगू र रहे हैं जैसे फाइनल रिपोर्ट पे आ हो चुकी हो। स्पीकर साहब, चौधरी वीरेन्द्र सिंह ने फर्माया कि कमेटी ने यह मामला लम्बा कर दिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये डिफेंस विटनैसिज की लिस्ट को स्क्रेप करवाना चाहते हैं। ब्रीच आफ प्रिविलेज बनता है या नहीं, यह कमेटी ने देखना है। स्पीकर साहब, पीछे की देरी के बारे में हाउस में चर्चा नहीं हो सकती इसलिए मेरी गुजारि आ है कि यह रिपोर्ट अडाप्ट की जाए।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, अगर पार्लियामैंटरी अफेयर्स मिनिस्टर यह चाहते हैं कि लिस्ट आफ विटनैसिज कैंसिल कर दी जाए तो यह भी करके देख ले, इनको कोई नहीं रोक सकता क्योंकि इनके पास ब्रूट मैजोरिटी है। ये गलत काम भी कर सकते हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। (गोर)

श्री अध्यक्ष: इसका फैसला तो प्रिविलेज कमेटी करेगी। न आप कर सकते हैं और न ये कर सकते हैं। आपकी भावना नोट हो गई है इसलिए आप कृपया बैठे।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, ये इस बात का रोब न डालें कि हम स्ट्रक कर सकते हैं। स्पीकर साहब, आप देख लेना

ये ऐसा भी करेंगे। अगर ऐसी बात हो गई तो महम के बाई इलैकान में इनको फिर सोनीपत और फतेहाबाद वाले हथकंडे अपनाने पड़ेंगे, फिर रिगिंग करनी पड़ेगी। स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा चीफ मिनिस्टर साहब को कहूंगा कि इस मैटर को ड्राप करके आज ही समाप्त किया जाए।

श्री मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, इस मामले में मेरा यही कहना है कि हमारी जो राय है भायद उसके ये भी कायल हो गये होंगे जिसे ये गवर्नर साहब के खिलाफ ब्रीच आफ प्रिविलेज समझते थे अब उस बारे में इनकी भी यही राय होगी कि वह ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं हैं। (विध्न) स्पीकर साहब, मैं चाहता हूँ कि इस मामले को ड्राप किया जाए।

श्री निहाल सिंह (अटेली): स्पीकर साहब, प्रिविलेजिज कमेटी के चेयरमैन, श्री इन्द्र सिंह नैन जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसमें एक संशोधन पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसके बारे में आपने भी यह फरमाया है कि गवाहां की लिस्ट बहुत लम्बी हैं और मामला भी अहम है। चेयरमैन प्रिविलेजिज कमेटी ने यह कहा है कि इस बारे में रिपोर्ट पेश करने के लिए अवधि बढ़ा दी जाए टिल दि फर्स्ट सिटिंग आफ दि नैक्स्ट सेशन। इस बारे में मेरा सुझाव यह है कि टिल दि फर्स्ट सिटिंग आफ दि नेक्स्ट सेशन की बजाये लास्ट सिटिंग आफ दि लास्ट सेशन आफ दि विधान सभा कर दिया जाए।

श्री हरि चन्द हुड्डा (किलोई): स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूँ कि इस केस को प्रिविलेजिज कमेटी डिले कर रही है इसलिए रिपोर्ट पे 1 होने में डिले हो रही है। मैं यह कोई इन्साफ नहीं समझता। क्योंकि delay defeats justice. इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि इस बारे में इस कमेटी ने डिले की है तो इस कमेटी को ही बदल दिया जाए और इसकी जगह नई प्रिविलेजिज कमेटी बना दी जाए ताकि वह कमेटी उस बारे में समय पर फैसला कर दें।

श्री अध्यक्ष: प्र न है:-

कि सदन को अन्तिम रिपोर्ट पे 1 करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

2. 24-6-82 को सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के अवसर पर उनके कथित अवचार सम्बन्धी चौधरी देवी लाल एम. एल.ए. के विरुद्ध

Sh. Inder Singh Nain (Chairman Committee of Privileges): Sir, I beg to present the Fourth Preliminary Report of the Committee of Privileges on matter in regard to the question of alleged breach of privilege against Ch. Devi Lal, M.L.A. regarding his mis-conduct on the eve of Governor's Address to the House on the 24th June, 1982.

Sir, I also beg to move:-

That the times for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of next session.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:—

कि सदन को अन्तिम रिपोर्ट पे 1 करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

श्रीमती चन्द्रावती (बाढ़ड़ा): स्पीकर साहब, माननीय सदस्य श्री इन्द्र सिंह नैन जी ने जो प्रस्ताव हमारे सामने रखा है। इस बारे में मैं यह कहना चाहती हूँ कि यदि इस प्रिविलेज कमेटी को पिछले दो साल के अर्से में चौधरी देवी लाल जी के खिलाफ कुछ नहीं मिला और न ही यह कमेटी अपनी फाइंडिंग्स तय कर पाई है तो मैं यह समझती हूँ कि यह मामला ड्राप हो जाना चाहिए। इस तरह से उस मामले को लटकाना एक बहुत ही गलत रवैया है और रवायात भी गलत है। मैं पिछले सै 11 में भी यह बात कह चुकी हूँ कि इस कमेटी को इस बारे में रिपोर्ट पे 1 करने के लिए टाईम की एक्सटें 11 नहीं मिलनी चाहिए और मामले को ड्राप कर देना चाहिए। स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहती हूँ कि चौधरी देवी लाल जी का गवर्नर साहब का अपमान करने का कोई मं 11 नहीं था और न ही उन्होंने गवर्नर साहब को कोई अपमान किया है। (11 एंव विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह (भट्टू कलां): स्पीकर साहब, चेयरमैन प्रिविलेजिज कमेटी ने हमारे सामने जो प्रस्ताव 10-20 लाईन का

रखा है यही 10 लाईनें दो साल पहले हमारे सामने आई थी। स्पीकर साहब, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि रूलिंग पार्टी जैसे तैसे मैजोरिटी ले गई थी उस दिन जिस दिन गवर्नर साहब ने यहां हाउस में अपना अभिभाषण दिया था, रूलिंग पार्टी के मुताबिक चौधरी देवी लाल जी ने गवर्नर साहब का अपमान किया। इस बारे में यह प्रिविलेजिज कमेटी कोई फैसला नहीं करना चाहती है और ऐसा लगत है कि इस मामले को इतना लम्बा कर रही है कि पूरे पांच साल तक यह कमेटी उस बारे में कोई फैसला नहीं करेंगी। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि उस मामले में कुछ और नाम जोड़ लिए जाएं जो मैम्बर उस समय वहां पर हाजिर थे और आज ट्रेजरी बैन्चिज पर बैठे हैं। स्पीकर साहब, इनको भी उस प्रिविलेज मो एन में जोड़ दिया जाएं। फिर एक बहुत भारी पुलिन्दा बन जाएगा। (गोर)

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, आप रैलेवैन्ट बोलें। इन्होंने जिन माननीय सदस्यों के नाम लिए हैं, वे रिकार्ड न किए जाएं। (गोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मैं रलेवैन्ट बोल रहा हूँ। उस समय जिस किसी माननीय सदस्य ने प्रोटैस्ट किया था उनके नाम भी उस लिस्ट में भामिल किए जाएं। (गोर एवं विघ्न) इसी विधान सभा के मेरे साथी उस समय उस मामले में भामिल थे और आज वे रूलिंग पार्टी में बैठे हैं। वे रूलिंग पार्टी में इसलिए चले गए क्योंकि उनको कुछ आफिसिज मिल गए और

उनका नाम उस मामले में नहीं आया। मेरा यह कहना है कि उनका नाम उस लिस्ट में अब य जोड़ा जाना चाहिए। (गोर)

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, आप रैलेवैन्ट बोलें। आप जो बातें कह रहे हैं उनके बारे में अभी कोई डिस्कान नहीं हो रही है। (गोर एवं विघ्न)

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मेरी आपसे गुजारि है कि उन सदस्यों के नाम भी उसमें भामिल किए जाए। (गोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: यह मैंने पहले ही कह दिया कि उन माननीय सदस्यों के नाम रिकार्ड नहीं होंगे। (गोर)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, उस मामले में जो मैम्बर भामिल थे और आज ट्रेजरी बैन्चिज पर बैठे हैं उनकी भी गवाही ले ली जाए। (गोर)

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदीश नेहरा): स्पीकर साहब, माननीय सदस्य को किसी दूसरे माननीय सदस्य पर किसी तरह का आक्षेप नहीं करना चाहिए। मेरी हाउस से यह प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष: मैंने यह बात पहले ही कह दी है कि माननीय सदस्य को रैलेवैन्ट बोलना चाहिए।

श्री राम बिलास भार्मा (महेन्द्रगढ़): स्पीकर साहब, चेयरमैन, प्रिविलेजिज कमेटी श्री इन्द्र सिंह नैन जी ने जो प्रस्ताव

हमारे सामने रखा है उसमें यह बात तो सही है कि चौधरी देवी लाल जी पर जो एक निराधार इल्जाम है उसकी जांच यह प्रिविलेजिज कमेटी कर रही है। (गोर एवं विघ्न) अध्यक्ष महोदय, यह एक पूवड फ़ैक्ट है कि हरियाणा राज भवन में हरियाणा की 1 करोड़ 31 लाख जनता का निरादर हुआ था। (गोर)

श्री अध्यक्ष: राज भवन सम्बन्धी मोान तो समाप्त हो चुका है और पास भी हो चुका है। इस समय जो मोान आपके सामने है आप उस बारे में बोलें। (गोर)

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, चौधरी देवी लाल जी पर हरियाणा राज भवन का जो इल्जाम है उसी के संबंध में यह प्रिविलेजिज कमेटी बनाई गई थी। राज भवन में हरियाणा की 1 करोड़ 31 लाख जनता का जिसकी ये सभी लोग नुमायंदगी करते हैं निरादर हुआ था। स्पीकर साहब, हरियाणा की 1 करोड़ 31 लाख जनता ने अपना जो फ़ैसला 19 मई, 1982 को दिया था उसफ़ैसले को राज भवन में कुचला गया था। यह बात मैं ही नहीं कह रहा हूँ, यह बात हकीकत है। स्पीकर साहब, यह प्रिविलेजिज कमेटी एक औपचरिकता है। (गोर एवं विघ्न) कुछ लोग दल बदल कर उधर चले गए। (गोर एवं विघ्न) स्पीकर साहब,
..... (गोर एवं विघ्न)

श्री जगदीश नेहरा: स्पीकर साहब,
(गोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, जो छोटी मोटी नोक झोंक होती है उसका नोटिस न लिया जाए और न ही मेरा स्टाफ उसको रिकार्ड करेगा। मैं माननीय सदस्य से रिकवेस्ट करूंगा कि वे रैलेवैन्ट बोलें। आप इस बारे में कह सकते हैं कि रिपोर्ट पे 1 होने में डिले क्यों हुई है उसको पे 1 क्यों नहीं किया गया। (गोर)

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि यह जो प्रिविलेजिज कमैटी बनाई हुई है इसका कोई औचित्य नहीं है इसको खत्म कर दिया जाना चाहिए। (गोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: प्र न है:—

कि सदन को अन्तिम रिपोर्ट पे 1 करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3. चौधरी हरदवारी लाल, उप-कुलपति, महर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी, रोहतक के विरुद्ध:

Sh. Inder Singh Nain (Chairman, Committee of Privileges): Sir, I beg to present the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges of the Haryana Vidhan Sabha on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege against Ch. Hardwari Lal, Vice Chancellor, Maharshi Dayanand University, Rohtak for his writing a

book-let "Legislature, Judiciary, Press and Universities" casting aspersions on the Members and lowering the image and prestige of the House and its Members.

Sir, I also beg to move:-

That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of the next session.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:-

कि सदन को अन्तिम रिपोर्ट पे । करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए ।

श्री मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, इस संबंध में मेरी सबमि । न यह है कि अगर चेयरमैन साहब हमें कांफ़ीडेंस में ले लेते और हमें यह पता चल जाता कि अब तक क्या कार्यवाही हुई है तो अच्छा रहता क्योंकि हमें पता चला है कि मुख्यमंत्री जी उन्हें लोक सभा या राज्य सभा में भेजना चाहते हैं । यदि वे वहां पर चले गए तो, वे हमारे हाथ से निकल जाएंगे ।

श्री वीरेन्द्र सिंह (नारनौंद): मैं इस बारे में एक सुझाव देना चाहता हूं कि चौधरी देवी लाल और हरद्वारी लाल की तरह यदि चौधरी बंसी लाल, चौधरी भजन लाल और श्री चिरंजी लाल भार्मा जी के खिलाफ भी प्रिविलेज मो । न आ जाएं तो यह मामला ही खत्म हो जाएगा ।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, यदि आप मेरी बात पर थोड़ी री तनी डाल दें तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष: आपने सुझाव दे दिए हैं। वे आपसे इस मामले में सलाह माँवरा कर लेंगे।

श्री मंगल सैन: वे मेरे से क्या सलाह लेंगे या क्या माँवरा करेंगे। इस मामले में तो इन्होंने सारे हाउस को ही कांफीडेंस में लेना चाहिए। (Noise & Interruptions)

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): स्पीकर साहब, अभी चेयरमैन प्रिविलेजिज कमेटी, महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी के वाईस चांसलर के खिलाफ जो फाईनल रिपोर्ट पे ा करने के लिए टाईम एक्सटेंड करने की माँवन लाए है, उस बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। स्पीकर साहब, उन्होंने जो मानहानि का काम किया है, उसके अन्दर किसी को नहीं बख्शा गया। स्पीकर साहब, उनके ऊपर जो आरोप है वे सारे के सारे रिकार्ड पर लिखे हुए है। इसलिए मैं समझता हूँ कि उनको छूट देना गलत होगा क्योंकि उन्होंने न तो जुडि ायरी को बख्शा, न सदन को बख्शा और न ही प्रैस को बख्शा है। इसलिए जो आरोप उनके खिलाफ रिकार्ड पर हैं उन्हीं के आधार पर उनके खिलाफ कुछ न कुछ फैसला कर देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: आप अपने ऐबल गाइडेंस चेयरमैन साहब को तो हाउस को कांफीडेंस में लेना चाहिए। (गोर एवं विघ्न)

Transport Minister (Col. Rao Ram Singh): Sir, I think, we are not discussing the privilege motion against Ch. Hardwari Lal. The motion under discussion is for the extension of time for presentation of final report. जो बात यहां पर कही जा रही है, वे यहां पर नहीं होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में जो भी बात की जानी है, वह कमेटी के सामने ही होनी चाहिए। The facts of the case are not to be discussed here now. I would request you to check the members from discussing the facts of the case.

Sh. Mangal Sein: Mr. Speaker, Sir, we are very sorry that you are being directed by somebody to check the members from discussing a think.

Mr. Speaker: I cannot be directed by anybody. But I must hear every one.

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, जो कुछ इन्होंने कहा है, उस संबंध में मेरी गुजारि है इनको मर्यादा से बाहर नहीं जाना चाहिए। (गोर एवं विघ्न) स्पीकर साहब हमें तो आपकी बुद्धिमता पर पूरा भरोसा है। परन्तु हम यह नहीं चाहते कि आपको कोई डायरेक्शन दे।

Col. Rao Ram Singh: Mr. Speaker, Sir, Doctor Sahib is n expert at twisting facts to say that I am directing you or casting aspersion on any one. Nothing can be farther from the truth, Sir. Dr. Sahib is an expert in twisting things. डा. साहब फैक्ट्स को टिवीस्ट करने में बड़े माहिर है। मैं इस मामले में इनको अपना गुरु मानता हूं।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मुझे किसी ने उस्ताद तो माना और मुझे भी अब यह पता चला कि हाउस के अन्दर मेरा भी कोई चेला है। स्पीकर साहब, जो कुछ इन्होंने अभी हाउस में कहा व इन्हें कहना नहीं चाहिए था। मेरी तो यही गुजारिश है कि चेयरमैन साहब को सारे हाउस को कांफ़ीडेंस में लेना चाहिए था कि इस मामले में अब तक क्या कुछ प्रोसीडिंग्स हुई हैं, क्योंकि हमें पता लगा है कि ये उनको लोक सभा/राज्य सभा में भेजने जा रहे हैं। यदि उनको राज्य सभा में भेज दिया गया तो हमारे लिए कठिनाई हो जाएगी क्योंकि यह मामला फिर खत्म हो जाएगा।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): वह तो टिकट का उम्मीदवार भी नहीं है।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इस मामले का फैसला जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष: आर्य साहब, आप अपनी ऐबल गाइडेंस चेयरमैन साहब को दीजिए ताकि वे इस मैटर को एक्सपीडाइट करवा सकें। (गोर एवं विघ्न)

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं आपके नोटिस में एक बहुत ही सीरियस बात लाना चाहता हूँ। सरदार लच्छमन सिंह जी आज हाउस में अपनी सीट पर नजर नहीं आ रहे। इस बारे में हम

बड़े चिन्तित हैं। (गोर एवं विघ्न) सी.एम. साहब ने उनको कहीं गायब तो नहीं कर दिया। (गोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: भायद वे किसी नेक काम के लिए गए हुए हों। (गोर एवं विघ्न)

कर्मल राव राम सिंह: स्पीकर साहब, यह बड़ी खुशी की बात है कि डा० साहब को पूरे सदन की फिकर है। हमारे मैम्बर का भार भी इन्के कंधों पर आ गया लगता है। परन्तु मैं इनको यह कहना चाहूंगा कि वे हमारे मैम्बर की चिन्ता करने की बजाये अपने मैम्बरों की चिन्ता करें।

श्री मंगल सैन: हमारे मैम्बर तो ठीक बैठे हैं। (गोर एवं विघ्न) स्पीकर साहब, पिछले दिनों अखबारों में उन्हीं की स्टेटमेंट छपी थी इसीलिए हमें चिन्ता है। (गोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है:—

कि सदन को अन्तिम रिपोर्ट पेश करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: यह हाउस कल प्रातः 9.30 बजे तक के लिए स्थागित किया जाता है।

16.45 बजे

(तत्प चात् सदन मंगलवार, दिनांक 13-3-1984 को
प्रातः 9.30 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।)